सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करने के लिए बिहार में मारे गए नागरिकों पर एक संकलित रिपोर्ट

संकलनकर्ता:

सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एण्ड रिसर्च

(SAFAR)

12 जुलाई, 2022

रिपोर्ट संकलनकर्ता:
कपिलदीप अग्रवाल व विद्याकर झाँ,
सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च (SAFAR)
वेबसाइट: safar-india.org
संपर्क: saforum.india@gmail.com

रिपोर्ट संकलन व जनसुनवाई आयोजन में योगदान की अभिस्वीकृति:

जनसुनवाई के आयोजन व रिपोर्ट संकलन में निम्नलिखित संगठनों का विशेष योगदान रहा है:

- जन जागरण शक्ति संगठन (JJSS), बिहार
- जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), बिहार
- सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (NCPRI)
- खाद्य सुरक्षा अभियान (RTF)
- सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च (SAFAR)
- पीड़ित परिवारों को अपनी बहुमूल्य कानूनी सलाह देने वाले सम्मानित अधिवक्ता: दीपक कुमार सिंह, कुमार शानू व रत्ना एपनेनदर

विषयसूची

क्रम	विषय	पेज क्रमांक
I.	**प्रस्तावना**	**1**
II.	**केस स्टडीस**	**3**
1.	भोला साह	3
2.	विपिन अग्रवाल	6
3.	बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा	10
4.	डॉ. मुरलीधर जयसवाल	13
5.	जवाहर तिवारी	17
6.	जयंत कुमार उर्फ हैप्पी	20
7.	मृत्युंजय सिहं	23
8.	पंकज कुमार	27
9.	प्रवीण कुमार झा	31
10.	राजेश कुमार यादव	35
11.	रामविलास सिहं	38
12.	राम कुमार ठाकुर	42
13.	शशिधर मिश्र	46

14.	सुरेन्द्र शर्मा	49
15.	वाल्मीकी यादव एवं धर्मेन्द्र यादव	52
16.	राजेन्द्र सिंह	60
III.	**बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित जनसुनवाई में शामिल हुए विभिन्न हितधारकों द्वारा रखे गए विचार**	**65**
1.	बिहार में हत्या किए गए सूचना का अधिकार (आरटीआई) उपयोगकर्ताओं/ कार्यकर्ताओं के परिजनों के विचार	65
2.	बिहार सूचना आयोग के सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण जी द्वारा जन सुनवाई के दौरान साँझा किए गए वि चार	66
3.	सूचना के जनअधिकार का राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) की संयोजक अंजली भारद्वाज ने त्रिपुरारी शरण जी की उपस्तिथि में बिहार सूचना आयोग में हुई उनकी मीटिंग में लिए गए मुख्य मुद्दों व फैसलों को सभी के सामने रखा	67
4.	जन सुनवाई में राजनीतिक पार्टियों के आमंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा राजनेतिक पार्टी वाले सत्र के दौरान रखे गए विचार	68
5.	जन सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने के बाद, ज्यूरी सदस्यों द्वारा सभी के सामने रखे गए विचार	72
6.	जन सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने के बाद, निखिल डे द्वारा सभी के सामने रखे गए विचार व सर्व सम्मति से पारित हुए 9 प्रस्ताव	**75**
IV.	**संलग्नक 1 : बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित जन सुनवाई के आमंत्रण, कार्यसूची (अजेन्डा) व मीडिया कवरेज से जुड़े दस्तावेज व अनलाइन लिंक्स**	**78**

V.	संलग्नक 2: बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 11 व 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित कानूनी सहायता क्लीनिक व जन सुनवाई की तस्वीरें	82

प्रस्तावना

साल 2010 से लेकर अब तक, पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में 20 सूचना का अधिकार कानून के उपयोगकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, लगभग आधे उपयोगकर्ताओं की हत्या सिर्फ पिछले 4 वर्षों में हुई है। अकेले 2018 में छह आरटीआई उपयोगकर्ता मारे गए हैं। इसमें से ज्यादातर सूचना का अधिकार कानून के उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक कार्यक्रमों और संस्थानों के कामकाज की स्थिति से संबंधित ऐसी जानकारी मांग रहे थे जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप सरकार द्वारा अनि वार्य रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए था।

आरटीआई का इस्तेमाल करने वालों की इन नृशंस हत्याओं ने न ही केवल उन लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है जो व्यवस्था से जवाबदेह बनाने के लिए काम करते हैं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की राज्य की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जबकि बिहार में ऐसे कई समूह हैं जो इस तरह के हमलों की खबरें आने पर इन मुद्दों को उठाने में शामिल रहते हैं, लेकिन उन परिवारों को समर्थन के माध्यमों को मजबूत करने के लिए एक सामूहिक मंच बनाने की भी बेहद आवश्यकता हैं, जिन्हें आरटीआई के माध्यम से जवाबदेही मांगने के लिए परेशान किया जाता है, धमकी दी जाती है और यहां तक कि मार दिया जाता हैं। कानूनी सहायता प्रदान करना, समयबद्ध शिकायत निवारण करवाने में सहायता करना, मुआवजे दिलवाना और न्याय तक सम्मानजनक पहुंच के माध्यमों को मजबूत करना इन प्रयासों का हिस्सा है। इन प्रयासों के बावजूद, मारे गए सूचना का अधिकार कानून के उपयोगकर्ताओं के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और बिहार में सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन में गिरावट जारी है।

इस पृष्ठभूमि में वर्ष 2021 से 2022 के शुरुआती महीनों तक सभी मृत आरटीआई कार्यकर्तों के घर जाकर उनके केस के पूरे घटनाक्रम को समझ गया, आरटीआई के साथ-साथ पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया गया व इन सभी सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। इसके उपरांत, इन मामलों से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों को एक सामूहिक मंच प्रदान करने के लिए 12 जुलाई 2022 को सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई), सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च (सफर), जन जागरण शक्ति संगठन, भोजन का अधिकार अभियान, बिहार और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम), बिहार द्वारा संयुक्त रूप से पटना में एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया।

इस जन सुनवाई के माध्यम से सरकार और राज्य सूचना आयोग की सार्वजनिक रूप से जवाबदेही तय करने, बड़े आरटीआई उपयोगकर्ताओं के समुदाय में कानूनी जागरूकता बढ़ाने, प्रासंगिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत कानूनी सहायता और अधिकार प्राप्त करने में परिवारों की सहायता करने और अंत में उसी के संस्थागतकरण की वकालत करने की कोशिश की गई।

इस रिपोर्ट को 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित की गई इस जनसुनवाई में सबके सामने रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। जनसुनवाई के ज्यूरी सदस्य वरिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता व मजदूर किसान शक्ति संगठन संस्थापक अरुणा रॉय जी, वरिष्ट पत्रकार विनीता देशमुख जी व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने इस रिपोर्ट के आधार पर इस जन सुनवाई में सभी पक्षों को सुना और फैसला लिया।

भोला साह

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह बिहार के बाँका जिले के प्रखण्ड कटोरिया, पंचायत मोथाबाड़ी अंतर्गत बन्नरझोप गॉव के रहने वाले थे। यह गॉव फुल्लीडुमर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आता है। भोला साह जीविकोपार्जन के लिए खेती किसानी के साथ साथ पंचायत स्तरीय ठेकेदारी का काम भी करते थे। वे स्वभाव से हिम्मती और बेबाक छवि के थे। उनके परिवार में उसके अलावे दो बेटे और उनकी पत्नी रहती थी। भोला साह के दो भाई भी हैं जिनका घर वही पड़ोस में है। सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्रिय भोला साह ने कभी चुनाव तो नही लड़ा था पर उन्होंने अपने पंचायत के सभी उम्र के तकरीबन 50 से अधिक लोगों को जोड़कर एक समूह बनाया था जो पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा /विमर्श और गलत कार्यो पर शिकायत आदि करते थे। भोला साह के हत्या के बाद यह समूह भी अब सक्रिय नही रहा।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

भोला साह सूचना के अधिकार का उपयोग अपने पंचायत में किये जा रहे विकास कार्यो की पूरी जानकारी लेने के लिए करते थे। इस जानकारी से उन्होंने कई बार ऐसी सूचना को सार्वजनिक किया जिस कार्य मे भ्रष्टाचार, घोटाले, अनियमितता और गलत तरीके से निर्माण कार्य की बात उजागर हुई।

वर्ष 2006-11 के कार्यकाल में तत्कालीन मुखिया विनोद तांती (घटना के समय मुखिया का पति व मुख्य अभियुक्त) ने लोगाई संथाल टोले में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का पैसा निकाल लिया पर भवन नही बना। कई अन्य आंगनबाड़ी भवन के पैसे निकले पर कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया, इन केन्द्रों को लेकर भी विवाद हुआ। चननथाडा में चौपाल निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इन सब कार्यों की वजह से मुखिया और उसके समर्थक का आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह से मनमुटाव और झगड़े करने लगे। बाद में सीट रिजर्व होने पर सुदामा देवी (पति-विनोद तांती) मुखिया बनी। सुदामा देवी के कार्यकाल में भी भोला साह ने सूचना इक्कठा कर कई कार्यो में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया। मोथाबाड़ी पंचायत पहाड़ पर जंगल के बीच बसा हुआ पंचायत है। यहां भूमि संरक्षण, वाटर रेसॉर्स आदि विभागों के अंदर के कार्य भी कि ये जाते रहे हैं। मुखिया पति व उसके सहयोगियों द्वारा नरेगा के काम को उक्त विभागों का काम बताकर नरेगा का काम जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर करता था। ग्रामीणों से सरकारी पैसा जांचने का बात कहकर लोगो के खाते से पैसा निकाल लेता था और दो तीन और रुपये छोड़ देता था। जब इस बात की जानकारी भोला साह ने अपने समूह के सदस्यों के माध्यम लोगो को बताई तो लोग इसकी शिकायत करने को आगे आये। इस बात पर गॉव के लोगों ने चंदा इकठ्ठा कर लड़ाई लड़ने को संगठित हुए। नरेगा से कुल 22 कार्य योजना का काम किया गया था। इसी प्रकार "हर घर नल का जल योजना में कार्य पूर्ण नही होने पर शिकायत करने पर मुखिया से पैसा रिकवर होने की बात सामने आई। इन सब घटनाओं के कारण मुखिया पति विनोद तांती और भोला साह के बीच झगड़े बढ़ते गये।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

वर्ष 2017 में एक दिन गॉव के ही एक दुकानपर जब भोला साह और उनके भाई के साथ विनोद तांती और उसके भाई ने बातचीत के दौरान हाथापाई की। उसे इन मामलों को छोड़ देने या इसका परिणाम भुगतने का धमकी दिया। इसके पूर्व भी मैनेज करने की बात भोला साह से कहता रहा था। इसके बाद विनोद तांती के भाई वकील तांती ने भोला साह और उसके भाई विनोद साह पर SC/ST एक्ट के तहत केस किया। इसमें पुलिस के तहकीकात करने पर गॉव वालो ने भोला साह के पक्ष में गवाही दी।

हत्या

22 दिसंबर 2018 को भोला साह अपने घर निर्माण का काम करवा रहे थे। घर मे सेटरिग का काम चल रहा था। बोलेरो पर सवार कुछ लोग उनके घर पर आए, उन्हें बातचीत के लिए बाहर दरवाजे पर बुलाया और जबर्दस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। परिजनों के ढूंढने पर उनका कोई पता नही चल सका। प्रशासन को इस बात की खबर दी गई। यह गॉव अपने थाना क्षेत्र से तकरीबन 16km की दूरी पर है। अगले दिन 23 दिसम्बर को तकरीबन 11 बजे दिन में बुढ़वाबांध के झाड़ी में ग्रामीणों ने उसका शव देखा। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाई। भोला साह की हत्या गला घोंटने और पीटकर हुई थी।

पुलिस जांच

मृतक आरटीआई कार्यकर्ता भोला साह की पत्नी ने 7 लोगो पर नामजद केस दर्ज कि या। यह केस फुल्लीडुमर थाना कांड संख्या- 684/18 दर्ज है। इस मामले में ग्रामीणों का सहयोग पीड़ि त परिवार को मिला पर पुलिस ने सख्ती नही बरती। पुलिस के सख्ती नही दिखाने पर साहू समाज के नेता रणवि जय साहू के हस्तक्षेप और स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट सुनवाई की स्थति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

वर्तमान में सभी अभियुक्त बेल पर बाहर हैं। भोला साह का एक पड़ोसी है जिसके माध्यम से भोला साह के घर की गतिविधियों की सूचना इनके दुश्मनों को मिल जाती है। इस केस में बतक छै लोगों की गवाही हो चुकी है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

भोला साह की हत्या के बाद भी अपराधियों द्वारा धमकी मिलते रहने पर, तब भोला साह के परिजन लोक अदालत में DGP से सुरक्षा की मांग की। किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नही करवाया गया पर जब भी गवाही देने जाते हैं उस दिन उन्हें सुरक्षित ले जाया और वापस पहुंचा दिया जाता है। गवाही के पूर्व उन्हें इस बात की सूचना पुलिस कार्यालय में देनी होती है। भोला साह के परिजनों को किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा नही मिला। अपने दोनों बच्चे को उनकी पत्नी ने कि सी तरह भरण पोषण कर पाला। अब वे अपने परिवार को न्याय, सुरक्षा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करती है।

विपिन अग्रवाल

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता बिपिन अग्रवाल बिहार के हरसिद्धि प्रखण्ड, जिला मोतिहारी के निवासी थे। बिपिन ने B.Com के प्रथम वर्ष तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बिपिन एक मध्य वर्गीय परिवार से थे और अपने पिता विजय अग्रवाल, पत्नी और तीन बच्चों के साथ मोतिहारी स्थित अपने घर में रहते थे। वह पेशे से एक व्यापारी थे, वह किराने की एक दुकान चलते थे और साथ में रसायनों के उत्पादन (chemical manufacturing) से जुड़ा व्यापार भी करते थे। उन्होंने अपने परिवार की जमीन के अवैध कब्जे से जुड़ी जानकारी निकलवाने के लिए सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करना चालू किया था, धीरे-धीरे उनका परिचय सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करने वाले देश भर के लोगों से हो गया और उन्होंने अपने जिले में जामीन अतिक्रमण को खत्म करने के लिए सूचना का अधिकार कानून का एक व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चालू कर दिया।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

विपिन वर्ष 2009 से एक आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय भारत गैस सुगौली, बीपीएल सूची सुधार, एसबीआई, जन वितरण प्रणाली, हरसिद्धि, ब्लॉक व अंचल कार्यालय, हरसिद्धि में पसरी अनियमितता और अतिक्रमण जमीन खाली कराने को लेकर करने लम्बी लंबी लड़ाई लड़ी।

हरसिद्धि बाजार में गैरमजरुआ जमीन के अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय पटना में सीडब्ल्यूजेसी 2834/13 के तहत मुकदमा किए था। इसके मुताबिक बाजार स्थित खाता संख्या 01 व खेसरा संख्या 245, 411 में पड़ने वाले गुदरी बाजार, यादवपुर रोड व पकडिया रोड के समीप करोड़ों की कीमत वाली करीब आठ एकड़ जमीन पर अवैध तौर से कब्ज़ा कर मकान का निर्माण करा लिया गया है।

वर्ष 2020 में धनखरैया में अतिक्रमित भूमि पर स्थित एक मकान को जहां प्रशासन ने तोड़वाया था। वहीं लोकायुक्त, पटना में दायर मुकदमे के तहत एक पेट्रोल पंप सील हुआ था। वे बेतिया राज की अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए भी केस किए थे।

उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान लेते हुए अंचल प्रशासन को अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया थाl लेकिन अतिक्रमण हटाने को ले दो-दो बार महज खानापूर्ति की गई। प्रशासन के गैरजिम्मेदाराना हरकत को लेकर विपिन ने सीओ, एसडीओ, एलआरडीसी व डीएम को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर की थी। इस आधार पर न्यायालय ने अपने आदेश को पालन नहीं करने को अवमानना (कोर्ट ऑफ़ कंटेम्प्ट) करार देते हुए केस को एमजेसी 3166/13 में तब्दील कर दिया। इसी सिलसिले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन सीओ अनिल कुमार सिंह को दोषी मानते हुए एसडीओ, अरेराज ने उनपर प्रपत्र 'क' भी गठित किया था। इसमें प्रशासन ने करीब 90 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित भी किया था।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

धनखरैया में अतिक्रमण हटाने के दौरान ही आक्रोशित उपद्रवी तत्वों ने बिपिन अग्रवाल के घर पर हमला कर तोड़-फोड़ किया। उनकी पत्नी को दिनदहाड़े सड़क पर घसीट कर मारा था। जबकि बिपिन अग्रवाल के घर से थाना की दूरी मात्र लगभग 200 मीटर की है। इस बावत उन्होंने कई लोगों पर केस किया था। लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पत्नी ने एसपी मोतिहारी के जनता दरबार में कई दफे आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। वर्ष 2015 में अतिक्रमण हटाने के दौरान तत्कालीन डीएम रमन कुमार हरसिद्धि पहुंचे थे। बिपिन अग्रवाल ने उनसे सुरक्षा की मांग की थी।

इस पर उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया था। इसके अलावा बिपिन अग्रवाल ने पूर्व में करीब सौ स्थानीय लोगों को आरोपित करते हुए एसडीओ कोर्ट, अरेराज में सनहा भी दर्ज कराया था। सनहा में उन्होंने सन्देह जताया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छेड़े गए जंग में उन्हें संगीन झूठे मुक़दमे में फंसाया जा सकता है या उनकी हत्या की जा सकती है।

हत्या

विपिन अग्रवाल की हत्या 24 सितंबर 2021 शुक्रवार को ब्लॉक चौक के पास गोली मारकर कर दी गई। घटना के वक्त वे प्रखंड कार्यालय से लौट रहे थे।

पुलिस जांच

हत्या के बाद बिपिन अग्रवाल के पिता विजय अग्रवाल ने हरसिद्धि थाना में दिनांक 25.09.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 (बी) व 34 के तहत FIR (थाना कांड संख्या:- 386/21) दर्ज कारवाई थी और इसमें किसी भी व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया था। FIR के बाद प्रशासन ने एसडीओ के नेतृत्व में SIT गठित कर मामले की छानबीन करने की बात कही थी। इस मामले में अबतक दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जबकि कई जनप्रतिनिधियों के संलिप्तता की आशंका जताई गई है।

बिपिन के पिता, विजय अग्रवाल व स्थानीय लोगों का कहना है कि बिपिन की मुख्य लड़ाई पूर्वी चंपारण जिले के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, राजेन्द्र गुप्ता से थी जो हरसिद्धि विकास मंच नाम से व्यपारियो को संगठित कर एक समूह भी चलाते हैं। बिपिन के पिता, विजय अग्रवाल का आरोप है कि राजेन्द्र गुप्ता एक भूमि माफिया है जो लोगों की जमीन पर कब्जा करवाता है और उसने ही अपने व्यपरियों के समूह के साथ मिलकर बिपिन को मारने की योजना बनाई और उसके लिए पेशेवर शूटर्स को सुपारी दी। बिपिन के पिता, विजय अग्रवाल का ये भी आरोप है कि पुलिस बिपिन की हत्या में कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं कर रही है, अभी तक की पुलिस जांच में बिपिन की हत्या में 15 लोगों को आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 लोग फरार हो गए। विजय अग्रवाल का ये भी आरोप है की पुलिस बिपिन की हत्या के मुख्य सजिशकर्ता राजेन्द्र गुप्ता को राजनीतिक दबाव के चलते नहीं पकड़ना चाहती है और उसपर किसी भी कार्यवाही से ये कहकर बचती है कि इस केस में राजेन्द्र हुपट सहित 11 लोगों की भूमिका पर अभी उनकी जांच चल रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाई है।

विजय अग्रवाल का पुलिस पर ये भी आरोप है कि वह पूरी तरह से हत्या के मुख्य सजिशकर्ता के साथ संलिप्त है, इसी साल फरवरी महिने में जब बिपिन के सबसे बड़े लड़के रोहित ने जब पुलिस एसपी से अपने पिता की हत्या के केस से जुड़ी कार्यवाही के बारे में जानकारी लेनी चाही तो एसपी ने रोहित से कुछ ऐसा कहा या बर्ताव किया कि रोहित ने घर वापिस आकर छत से नीचे गिरकर आत्महत्या कर ली। विजय अग्रवाल ने ये भी बताया कि रोहित की आत्महत्या से डरे व बौखलाए एसपी व पुलिस के अन्य अधिकारियों ने परिवार पर दबाव बनाना चालू किया कि वो उनके लिखे बयान पर हस्ताक्षर करें, इस बयान में लिखा था कि रोहित की मृत्यू छत पर मोबाईल पर बात करते हुए गलती से गिर कर हुई थी। बिपिन के पिता विजय अग्रवाल पुलिस के दबाव में नहीं आए और उन्होंने पुलिस के बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया पर पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों पर दबाव बनाने का काम जारी रखा और विपिन की पत्नी के हस्ताक्षर इस बयान पर ले लिए। हालांकि, बिपिन के पिता ने पुलिस अधिकारियों का परिवार को दबाव बनाने और धमकाने का एक विडिओ भी बना लिया था जिससे ये पूरी बात मीडिया के जरिए लोगों के बीच या गई और उनपर बिपिन की हत्या के केस पर ठोस कार्यवाही करने का दबाव बढ़ गया। बिपिन के पिता विजय अग्रवाल ने बाते है कि SP ने उन्हे सूचित किया है की अब बिपिन की हत्या का केस सीआईडी को सौंप दिया गया है पर उन्हे अभी भी केस में छ्आल रही कार्यवाही की न ही कोई सूचना है और न ही कोई विश्वास।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

ये मामला अभी भी मुख्यतः पुलिस जांच स्तर पर है और न्यायलय स्तर पर अभी कुछ ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

इस पूरी घटना का बिपिन अग्रवाल के परिवार पर ये प्रभाव पड़ा है कि रोहित की आत्महत्या के बाद, बिपिन की पत्नी ने अपने बाकी के दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चली गई है। अब बिपिन के पिता बिपिन अग्रवाल घर पे अकेले रहते हैं।

बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता सह पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा बिहार के बेनीपट्टी प्रखण्ड, जिला मधुबनी के निवासी थे। बुद्धिनाथ झा पेशे से पत्रकार थे तथा पूर्व में एक निजी क्लीनिक "आस्था" में काम करते थे। आस्था के संचालक डॉ पी आर सुल्तानिया थे। बुद्धिनाथ झा के घर मे वे उनके माता पिता, दो बड़े भाई व भाभी के साथ रहते हैं। इनका परिवार आर्थिक रूप से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है। बचपन मे गॉव में रहकर ही पढ़ाई की। दरभंगा विश्वविद्यालय अंतर्गत BA की पढ़ाई पूरी किये। आगे फिर से वे B.Sc की पढ़ाई करने का तैयारी कर रहे थे। उनके पिता बिहार राज्य पथ परिवहन में कैजुअल वर्कर थे। काफी दिनों पहले ही उनकी नौकरी सरकारी बस सर्विस के बदहाल स्थिति के कारण छूट गई। तब से बड़े भाई त्रिलोकनाथ झा ने पहले कन्डक्टर और फिर ड्राइवर की नौकरी कर परिवार चलाया। पढ़ाई के वक्त ही वे उक्त निजी क्लीनिक में काम करते थे। साथ ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ भी जुड़े हुए थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

बुद्धिनाथ झा बिहार लोक शिकायत निवारण का अधिकार के तहत निजी क्लीनिकों से जुड़े गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, फर्जी डॉक्टरों से ईलाज, मरीजों से फीस की लूट को लेकर सिविल सर्जन व सम्बंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत करते थे।

उनके भाई त्रिलोकनाथ झा ने शिकायत का कारण बताते हुए कहा कि बुद्धिनाथ झा ने शुरुआत में एक निजी क्लीनिक में नौकरी की, उसके बाद उन्होंने अपना क्लीनिक खोला, जिसमे वे कही और से डॉ को बुलाकर इलाज करवाते थे। इसी दौरान उनकी मनमुटाव अन्य अस्पताल/क्लिनिक "आयुष लाइफ केअर सेंटर" संचालक डॉ संतोष से हुई। और इस कारण बुद्धिनाथ झा को अपना क्लीनिक बन्द करना पड़ा। बाद में थाइरोकेअर का कलेक्शन सेंटर चलाने लगे। तब से बुद्धिनाथ झा ने सोच लिया था कि एक भी फर्जी और गड़बड़ी करने वाले क्लिनिक को बेनीपट्टी में नही चलने देंगे। इन्होंने डॉ संतोष के क्लीनिक के अलावे भी अन्य कई ऐसे क्लीनिकों से जुड़ी जानकारी आरटीआई के माध्यम से इकठ्ठा किया और इसकी गड़बड़ी की शिकायत करने लगे। इस बीच इन्होंने अपने दोस्त विकास व कन्हाई के साथ जुड़कर BNN न्यूज़ नाम के पोर्टल के साथ प्रखण्ड के संवाददाता के रूप में काम करने लगे।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

जब बुद्धिनाथ झा ने शिकायत करना शुरू किया तो क्लीनिक संचालको द्वारा कई बार उन्हें धमकियां मिली पर विकास और कन्हाई ने उन मामलों में सुलह करवाया। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने धमकी देने वालो से पैसे लेकर बुद्धिनाथ से बात रफा दफा करवाने का समझौता कर लिया। ऐसा कई बार हो चुका था जिसकी कोई जानकारी परिजनों को नही थी। त्रिलोकनाथ झा का कहना है कि बुद्धिनाथ विकास और कन्हाई की बात नही काटता था। लेकिन इस मामले में उसने इन दोनों की बात नही मानी और अपनी शिकायत को जारी रखा।

हत्या

9 नवंबर 2021 की रात को अचानक से अपने घर से फोन पर बात करते हुए बुद्धिनाथ झा घर से निकले और वापस घर नही लौटे। 11.11.2021 की सुबह उनके भाई ने बुद्धिनाथ झा के गायब होने की लिखित शिकायत पुलिस को दी। उनकी हत्या की खबर 12 नवंबर 2021 को सामने आई। पुलिस ने बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की हत्या के संबंध में बेनीपट्टी पुलिस थाने में दिनांक 12.11.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी) व 34 के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 243/21) दर्ज करी।

पुलिस जांच

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक का घटना से ध्यान भटकाने के लिए प्रेम प्रसंग की बात कहीं, फिर बाद में इस वाकया को वापस लिया। आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा के भाई त्रिलोकनाथ झा का कहते हैं कि वे पुलिसिया कार्यवाही से बिल्कुल नाराज हैं। पुलिस ठीक से जांच तो छोड़िए, गुनहगारों को बचाने में लगी है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी उनके परिजनों से मिलना भी जरूरी नही समझे। केस में नामजद लोगों को पकड़ने के बदले पुलिस ने अपने मन से पांच निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की है। जबकि नामजद अभियुक्त में से सिर्फ दो लोग पकड़े गए हैं।

त्रिलोकनाथ झा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनसंगठनों से प्रशासन पर दवाव बनाने और विधिक सहयोग की मांग करते हैं, साथ ही वह प्रशासन से अविनाश की पुरानी जन शिकायतों पर उचित कार्यवाही करने की मांग करते हैं।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है, सभी आरोपियों पर मधुबनी सत्र न्यायालय में हत्या का केस चल रहा है व सभी आरोपी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय से बेल पर बाहर हैं।

डॉ. मुरलीधर जयसवाल

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता डॉ मुरलीधर जयसवाल मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना अंतर्गत नाकि पंचायत के रहने वाले थे। पेशे से ग्रामीण चिकित्सक का कार्य करते थे और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी थे। पंचायत की राजनीति में सक्रिय डॉ मुरलीधर जयसवाल 2001 में एकबार सरपंच रह चुके थे। बाद में एकबार मुखिया के पद के लिए उम्मीदवार हुए पर नाम वापस ले लिया। डॉ जयसवाल सूचना के अधिकार के तहत पंचायत के विकास योजनाओं की जानकारी लेकर उसे सार्वजनिक करते रहते थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

उन्होंने नाकि पंचायत की मुखिया सविता देवी के कार्यकाल में चालू हुई तमाम योजनाओं के बारे में सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत सूचना मांगी थी और उनमें भारी अनिमियाताऐं पाई थीं। इन अनिमितियाओं को वो सार्वजनिक भी करते थे और उनकी जांच व उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों से शिकायत भी करते थे। उनकी की गई शिकायतों के कारण सविता देवी द्वारा चालू की गई योजनाओं में हुई अनिमियतों पर अलग अलग स्तर पर जांच जांच रही है।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार को उजागर होने से परेशान होकर मुखिया ने उन्हें धमकी भी दी थी और आगे चलकर उनपर एक ग्रामीण महिला से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा करवा दिया। डॉ जयसवाल की शिकायत पर मुखिया के ऊपर कई जांच और कार्यवाही होने लगी। मुखिया का स्थानीय डीएसपी से अवैध संबंध होने के कारण डीएसपी डॉ जायसवाल के घर आये और इस केस के बदले पुराने केस मैनेज करने का दवाव बनाने लगे। डॉ जयसवाल के बेटे डॉ एच प्रसाद (जो खगड़िया में रहते हैं) ने उन्हें बुलवाकर तत्काल उपमुख्यमंत्री से मिले और उन्हें पूरी जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने एसपी और डीआईजी मुंगेर को पत्र लिख इस मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिया। डीआईजी को थानाध्यक्ष ने बताया की डीएसपी ने इस केस को ट्रू किया है और डॉ जयसवाल के खिलाफ वारण्ट जारी किया है। मामले की जांच करने पर आरोपी ने बयान दिया कि चापाकल और इंदिरा आवास देने के नाम पर मुखिया ने उससे सादा कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया था। पी कुमार उस समय एसपी थे। इस मामले में गॉव के अन्य पांच लोगों के बयान पर एसपी ने केस खत्म किया।

डॉ जयसवाल ने मुखिया सविता देवी के सर्टिफिकेट और निर्वाचन ने दिए गए नाम पर आपत्ति किया। इन्होंने आरोप लगाया कि उसने फर्जी नाम से निर्वाचित हुई है। आरटीआई से सूचना इकठ्ठा कर निर्वाचन आयोग को शिकायत के साथ डॉ जयसवाल ने लिखा। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में जांच शुरू किया। इससे डरकर मुखिया और डीएसपी ने मिलकर डॉ जयसवाल के हत्या का प्लान किया।

हत्या

दिनांक 21.04.2014 को मुखिया संघ की मीटिंग से लौटते समय मुखिया और उसके साथ के लोगों ने पहले डॉ जयसवाल के घर के सामने डॉ. जयसवाल से बहस की और फिर उन्हें गोली मार दी।

पुलिस जांच

जब उनके बेटे खगड़िया से अपने घर पहुंचे तब डीएसपी वहीं था। वहां भी थानाध्यक्ष ने उनके बेटे से बहस करने और धमकाने लगा। डॉ प्रसाद ने डीजीपी और एसपी से फोन पर बात किया और डीएसपी पर नामजद एफआईआर करने को कहा।

पुलिस ने डॉ मुरलीधर जयसवाल की हत्या के संबंध में खड़गपुर पुलिस थाने में दिनांक 21.04.2014 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 व 120(बी) के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 99/14) दर्ज करी थी। दरोगा ने केस स्टैंड नही करने की बात कहकर डीएसपी का नाम नही लिखा। ग्रामीणों और परिजनों ने अगले सुबह 5 बजे से 9 बजे तक मुख्य सड़क को जाम रखा तब डीआईजी मुंगेर आकर डीएसपी के पर एफआईआर दर्ज किए। दाहसंस्कार के बाद एसपी ने डीएसपी का नाम हटाने का दवाव बनाकर शाम को डीएसपी का नाम हटा दिया और आवेदन बदलवा दिया। डीएसपी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि हत्या के प्लानिंग में वह शामिल था। केस को बरियारपुर थाना को सौंपा गया ताकि डीएसपी का क्षेत्र बदला जा सके। उस समय पर हिंदुस्तान अखबार भागलपुर ने पूरे दस दिनों तक इस मामले पर खबर करता रहा। डॉ प्रसाद ने अपनी सुरक्षा के लिए एसपी से सुरक्षा गार्ड देने का रिक्वेस्ट किया, उन्हें गार्ड मुहैया भी कराया गया था। अभियुक्त महिला मुखिया ने बाद में डब्ल्यू चौरसिया नाम के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। डब्लू चौरसिया का नक्सल गतिविधियों में शामिल होने की बात जगजाहिर है। उसपर पहले के कई मुकदमे दर्ज हैं। डब्लू चौरसिया अपना नाम बदलकर पांच लोगों को लेकर डॉ प्रसाद के क्लीनिक पर उनसे मिलने आया। उन्होंने उसकी तस्वीर खींचकर एसपी मुंगेर को भेजी तब एसपी के बताने पर डॉ प्रसाद को उसके आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिली। डब्लू चौरसिया बार बार कॉल करके धमकाने लगा। इस बात की लिखित आवेदन खगड़िया और मुंगेर एसपी को दिए। एसपी ने उसके गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

डॉ प्रसाद बताते हैं कि कोर्ट में केस चलने के दौरान आरोपी इस केस के गवाह शिव जायसवाल को धमकी देने लगे। 2014 में गवाह शिव जयसवाल मुंगेर से अपने घर लौट रहे थे। लौटते समय अपराधियों ने रास्ते में उनपर गोली चला दी। संयोग से वे बच गए। पटना में उनका इलाज करवाया गया, केस भी पटना में ही दर्ज किया गया। पर अपराधियों ने उनके चाचा जो इस घटना के गवाह थे उन्हें केस नही करने का धमकी दिया नही तो वे उनकी भी हत्या कर देंगे। इस घटना के एक महीने बाद शिव जयसवाल के चाचा प्रेम चंद्र जयसवाल को भी अपराधियों ने उनके घर पर गोली मार दिया। अभी भी शिव जयसवाल को मारने का घमकी मिलती रहती है।

अबतक इस मामले में किसी को सज़ा नही हुई है। दरोगा को छोड़कर अन्य सभी की गवाही हो चुकी है। बबलू मंडल ने डॉ जयसवाल की गोली मारकर हत्या किया था। उसपर पूर्व में जीआरपी को होली मारने का मुकदमा दर्ज था। उसने फर्जी सर्टिफिकेट देकर खुद को ज्युबनाइल कोर्ट के अंदर चला गया। कोर्ट से गवाही की नोटिस निकलवाकर नोटिस किसी गवाह को नही भेजने दिया और इस मामले में बरी हो गया। प्रेमचंद जयसवाल के हत्या के आरोप में बबलू मंडल को फिर से जेल भेजा गया है। डीएसपी 'के चंद्रा' के आत्महत्या की सूचना अखबार से प्राप्त हुई थी। तत्कालीन मुखिया पर फर्जी नाम पर मुखिया बनने के आरोप में एसपी ने मुकदमा दर्ज किया था उसमें डॉ प्रसाद सहित चार अन्य गवाह हैं।

जवाहर तिवारी

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता जवाहर तिवारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना अंतर्गत बंगरा निजामत गॉव के रहने वाले थे। पेशे से खेतिहर किसान थे। आर्थिक रूप से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की के थे। पैर में एक्सीडेंट की वजह से स्टील लगा था। जवाहर तिवारी के पैर में स्टील लगे होने के कारण वे भागने में भी असमर्थ थे। लोग जवाहर नाम होने की वजह से उन्हें नेहरू जी भी कहते थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

सामाजिक कार्यो में दिलचस्पी रखने वाले जवाहर तिवारी जी लोगों का राशनकार्ड बनवाना, इंदिरा आवास, पेंशन योजनाओं का लाभ सहित प्रखण्ड आदि से जुड़े कार्यों में लोगों का मदद करते थे। जवाहर तिवारी अपने पंचायतों के विकास कार्य, इंदिरा आवास, मनरेगा, पैक्स से मिलने वाली सुविधाओं आदि की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगते थे और पंचायत के लोगो के बीच सार्वजनिक करते थे। उनके पंचायत का मुखिया मनरेगा में मजदूरों से काम नही करवाकर उनके नाम पर मजदूरी निकालता था। अधिकांश मजदूरों का खाता मुखिया खुद खुलवाए हुए था, जिनके पास अपना खाता था उसका पासबुक मुखिया रखता था। मजदूरी आने पर एक दिन की मजदूरी देकर सभी पैसे निकासी करवा लेता था। इस बात की शिकायत जवाहर तिवारी ने प्रखण्ड और जिला के अधिकारियों को किया। इसी कारण मुखिया से उनका अनबन शुरू हो गया।

मुखिया का घर उनके घर से लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर था। कई बार उससे जमीनी विवाद के कारण भी लड़ाई हुई। 2011 में बाढ़ आने पर हर परिवार को मिलने वाला अनुदान राशि और अनाज मुखिया ने किसी परिवार को नही दिया। जब इस बात की चर्चा फैलने लगी तो मुखिया ने जवाहर तिवारी को प्रलोभन देकर चुप रहने को कहा पर वे नही माने। इस मुद्दे को लेकर जवाहर तिवारी ने साहेबगंज के अन्य एक्टिविस्ट और संगठन के साथियों के साथ अनशन किया था। उसके बाद मुखिया ने कुछ परिवारों को पैसा दिया।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

वर्ष 2015 के फरबरी महीने में जवाहर तिवारी के घर पर अपराधियों ने पांच-छै गोली चलाई। इस गोलीबारी में जवाहर तिवारी बच गए। इस घटना में जवाहर तिवारी ने तत्कालीन मुखिया जितेंद्र सिंह और उसके समर्थकों पर एफआईआर किया। प्रशासन के नकारात्मक रवैये को देखकर जवाहर तिवारी और उनके साथियों ने फिर से साहेबगंज में धरना दिया। ये काफी दिनों तक चली। प्रशासन के पक्षपात को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिले और राज्य के उच्च पदाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। इस धरना के विरोध में मुखिया ने भी अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुखिया और उसके भाइयों पर पूर्व से कई आपराधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। मुखिया के समर्थकों में जवाहर तिवारी और इनके साथियों के धरना को हटाने के लिए इनलोगों से लड़ाई कर लिया और इनलोगों ने जिनके दरवाजे पर धरना का आयोजन किया था उसके घर की एक महिला जो प्रसव अवस्था मे थी उसे जितेंद्र सिंह ने धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद पब्लिक मूवमेंट बनने पर जितेंद्र सिंह को मार पड़ी और उसके गले का इस फट गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में जवाहर तिवारी और उनके साथियों को जेल जाना पड़ा। लगभग 20-25 लोग 6 महीने तक जेल में रहे। 5 दिनों तक जवाहर तिवारी और इनके साथियों को पुलिस ने नज़रबंद करके रखा।

हत्या

10 अगस्त 2015 को गॉव में हल्ला हुआ कि स्कूल के पास से कुछ लोगों ने एक लड़के का अपहरण कर लिया है। बाद में जानकारी हुई कि वो कोई विद्यार्थी नही जवाहर तिवारी ही थे। वे उस वक्त साइकिल से अपने प्रखण्ड मुख्यालय साहेबगंज से घर लौट रहे थे।

पुलिस में गुमशुदगी का केस दर्ज कर उनके भाई भतीजे और परिजनों ने उन्हें ढूंढना जारी किया। प्रशासन ने उन्हें खोजने में ततपरता नहीं दिखाई। 14 अगस्त को सुहासी दियार में एक लाश मिला। घर के लोगों ने उनकी पहचान उनके साइकिल और चप्पलों से किया। 15 अगस्त को (उनका बेटा जो भारतीय वायु सेना में कार्यरत हैं) उनका दाहसंस्कार किया।

पुलिस जांच

जवाहर तिवारी की हत्या के संबंध में प्राथमिकी (केस संख्या- 204/15) साहेबगंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 120 (बी) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। इस मामले में सात लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

वर्तमान में जवाहर तिवारी की हत्या का पुलिस जांच के स्तर पर ही है, न्यायालय में अभी इस मामले में कोई खास कार्यवाही की जानकारी नहीं है। जितेंद्र सिंह की मृत्य के समबंध वाले केस में गवाही चल रही है। मुख्य गवाह उनके भाई बैधनाथ तिवारी हैं। बैधनाथ तिवारी अभी फरीदाबाद के किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं।

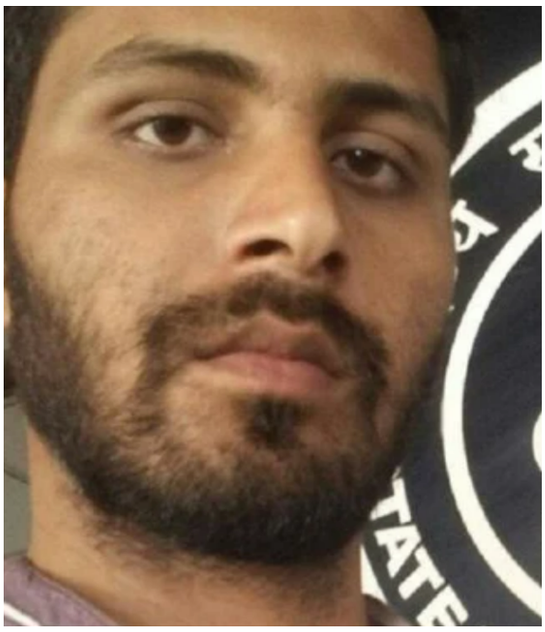

जयंत कुमार उर्फ़ हैप्पी

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता जयंत कुमार उर्फ हैप्पी वैशाली जिले के गोरौल थाना अंतर्गत गॉव बयासचक, पंचायत इनायत नगर के निवासी थे। 2012 से उन्होंने सूचना के अधिकार का उपयोग करना शुरू किया था। 2016 के ग्राम पंचायत के चुनाव में जयंत ने अपनी माँ को पंचायत समिति सदस्य के पद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया और वे विजयी भी हुईं। जयंत की उम्र उस वक्त लगभग 23-24 वर्ष थी।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

जयंत कुमार पंचायत और प्रखण्ड स्तरीय योजनाओं से सम्बंधित सूचना मांगते थे। उनके द्वारा मांगे गए सूचनाओं का उत्तर नही देने पर BDO गोरौल को 25000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया था। प्रशासनिक विभाग और एफसीआई से भी उन्होंने की बार सूचना मांगी थी। बार-बार अलग अलग योजनाओं की जानकारी मांगने के कारण BDO, CO और दरोगा ने मिलकर उनपर कई फर्जी मुकदमे भी लगवा दिए थे।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

पंकज को किसी से भी जान से मार देने की या अन्य किसी भी प्रकार कोई भी धमकी नहीं मिली थी।

हत्या

04.04.2018 को रोजमर्रा की तरह जयंत कुमार गोरौल चौक पर सुबह पंचायत के करीब एक दुकान में चाय पी रहे थे तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग आए और उन्होंने दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जयंत कुमार को दो गोली लगी और वे वहीं पर मर गए। हमले में, पंचायत की उपमुखिया के पति अरविंद सिंह उर्फ भद्र सिंह के दाहिने हाथ में भी गोली लगी और वह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

जयंत कुमार को किसी से भी जान से मारने की या अन्य किसी भी प्रकार की कोई धमकी की जानकारी हमें नहीं मिली है।

पुलिस जांच

जयंत कुमार की हत्या का घटना स्थल गोरौल थाने के आसपास ही है। परिजनों में अज्ञात बदमाशों के ऊपर मुकदमे किये पर पुलिस ने जांच के आधार पर तत्कालीन प्रखण्ड प्रमुख मुन्ना राय को गिरफ्तार किया। हत्या में रंजीत राय तथा एक व्यक्ति और शामिल था। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को जेल भेजा। इन तीनो से पूछताछ पर इन्होंने दो व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया। साथ ही दोनों को 4 लाख रुपये में इनकी सुपारी मिली थी यह बात भी सामने आई।

जयंत कुमार के चाचा विभाशंकर जी कहते हैं कि उन्होंने इस घटना में प्रशासन की अनदेखी और मिलीभगत को देखा। उनका ये भी आरोप है की पुलिस ने, खासकर भ्रष्ट थानाध्यक्ष ने पैसा लेकर केस को कमजोर कर दिया और SP के सजातीय होने के कारण उन्हीने उसपर कार्यवाही नहीं की। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला की जयंत कुमार ने गोरौल के पूर्व थानाध्यक्ष, पुलिसकर्मियों समेत कई नेताओं के खिलाफ आरटीआई के जरिए सबूत एकत्रित किए थे।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

जयंत कुमार की हत्या के केस के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, जयंत कुमार के परिवार के लोगों पास भी केस से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है या उनके द्वारा हमसे साँझ नहीं की गई है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

जयंत कुमार की हत्या के बाद जयंत की मां और उनके परिवार के सदस्यों ने गॉव में रहना छोड़ दिया है।

मृत्युंजय सिंह

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह बिहार के जगदीशपुर प्रखण्ड, जिला भोजपुर के निवासी थे। मृत्युंजय ने इतिहास के विषय में महाराज कॉलेज, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। मृत्युंजय एक मध्य वर्गीय किसान परिवार परिवार से थे और खुद भी पेशे से मूलतः किसान थे। इसके साथ मृत्युंजय ने गाँव के ही एक ठेकेदार के साथ साझेदारी की थी जिसमें उनके साजहदेआर ठेकेदार अपने लाइसेन्स के माध्यम से सरकारी कार्यों के टेन्डर में आवेदन करता था और मृत्युंजय सहित अन्य साझेदार उन कार्यों को पूरा करने में ठेकेदार की मदद करते थे। जब मृत्युंजय ने पाया कि उनके साझेदार ठेकेदार का किसी भी टेन्डर के लिए आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा तो उन्होंने पहले कुछ अधिकारियों से इसकी वजह जानने की कोशिश की पर जब उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली तब उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के इस्तेमाल से इसकी वजह जानने की कोशिश की और कुछ ही समय में वह सूचना के अधिकार कानून को अपने गाँव में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी पाने के लिए एक व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल करने लगे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह के भाई मुकेश कुमार कहते हैं, वे नगर पंचायत जगदीशपुर अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों की जानकारी लेते थे और उसमें जो काम नहीं हुआ है या आधा अधूरा हुआ था उसपर शिकायत करते थे। नाला निर्माण, सड़क निर्माण, विवाह भवन निर्माण कार्य आदि में हुई कई भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए और उसपर कार्यवाही कारवाई। मुकेश कुमार गुड्डू अपनी पत्नी नगर अध्यक्ष रीता कुमारी के मार्फ़त सभी काम अपने भतीजे को संवेदक बनाकर करता था। उसी समय स्ट्रीट लाइट की ठेकेदारी की प्रक्रिया सिर्फ दो दिनों में पूरा कर लिया। आज तक इस घटना की जांच नही की गई है।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

मृत्युंजय कोई किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी, इस तरह कि घटना का किसी को कोई अंदेशा नहीं था।

हत्या

RTI कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह 9 जून 2016 को रात के तकरीबन 9 बजे मंगरी चौक स्थित मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौटते समय बड़ी मस्जिद, जगदीशपुर मोड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 14 गोली मारी गई थी।

पुलिस जांच

मृत्युंजय सिंह की हत्या के संबंध में प्राथमिकी (केस संख्या- 127/16) जगदीशपुर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 120 (बी) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। परिजनों द्वारा नामजद अपराधियों में मुकेश कुमार गुड्डू, चुन्नू महतो और वासु कुमार का नाम मुख्य था। अन्य नाम पुलिस ने अपनी ओर से जोड़े थे। मुकेश कुमार गुड्डू की पत्नी रीता कुमारी उस समय नगर अध्यक्ष हुआ करती थी। मृत्युंजय सिंह के भाई मुकेश कुमार (शिक्षक) बताते हैं कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने व DSP का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। DSP ने अपने जांच में मिलीभगत से मुख्य अपराधी मुकेश कुमार गुड्डू का नाम पूरे मामले से बाहर कर दिया ततपश्चयात हमलोगों ने बड़ी कोशिश करके पुलिस अधीक्षक से सुपरविजन करवाया और उसे उसका नाम दुबारा शामिल हुआ।

तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग पर गार्ड दिया गया जो चार साल तक रहा पर पुलिस ने वहां बरामद साक्ष्य को फोरेंसिक जांच के लिए नही भेजा। घटना के इतने दिन गुजरने के बावजूद पुलिस सीडीआर जमा नहीं की है।

मृत्युंजय सिंह के भाई मुकेश कुमार आगे बताते हैं कि उनकी ओर से गवाह रंजीत राय, भाई मार्कण्डेय सिंह और वो खुद थे, बाकी अन्य गवाहों के नाम भी पुलिस ने अपने मन से जोड़ दिए थे जो बाद में गवाही देने नही गये। स्थानीय प्रिन्ट मीडिया हत्याओं की खबर तो छापती है मगर नगर पंचायत अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार और लूट को नहीं छापती है। यदि कोई संवाददाता ऐसा करता भी है तो उनका संस्थान उन्हें अगले ही दिन पदमुक्त कर देता है।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

इस मामले में अबतक मुख्य दो अपराधी मुकेश कुमार गुड्डू व चुन्नू महतो को 6 नवंबर 2020 को पटना उच्च न्यायालय ने उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी तथा वासु कुमार अब भी फरार है, और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में दो लोगों को सज़ा हुई पर अब भी एक फरार है। जिन दो लोगों को सज़ा हुई उसमें से एक पटना हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर है। इसे जमानत उस वक्त कोरोना काल मे मिली जब हाई कोर्ट सिर्फ अत्यंत महत्वपूर्ण केस के सुनवाई के लिए चल रही थी। मृत्युंजय सिंह के भाई, मुकेश सिंह, जो अपने भाई की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, का मानना है कि जबतक दोषी पाए गए लोगों की सज़ा पूरी नही होती है तबतक न्याय मिला है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। मृत्युंजय के भाई मुकेश सिंह को पुलिस से यह भी शिकायत है कि उन्होंने उस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कोई भी जांच नहीं की जिसका खुलासा करने के लिए मृत्युंजय ने सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल करना चालू किया था।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

मृत्युंजय सिंह के भाई, मुकेश सिंह का कहना है की वो आज भी नगर पंचायत के सभी कार्यो की सूचना मांगते हैं और अनियमितता पाने या काम ठीक से नही होने पर शिकायत करते हैं।

शिकायत के लिए अब लोकशिकायत कानून का उपयोग करते हैं। अब भी उनके परिवार के लोगों को लोग कहते हैं कि सतर्क रहें, आपके खिलाफ हत्या या कोई अन्य अनहोनी की घटना हो सकती है।

पंकज कुमार

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता पंकज कुमार बिहार के पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल अंतर्गत बिक्रम प्रखंड के जनपारा गॉव के रहने वाले थे। जनपारा रानी तालाब (कनपा) थाना के अंतर्गत आता है। पंकज तीन भाई थे और उनके पिता निर्मल सिंह पेशे से किसान है और पास के बालू घाट में उनकी गाड़ी भी चलती है। पंकज ने पटना के जी.जे. कॉलेज रामबाग बीहता से रसायनशास्त्र (chemistry) में B.Sc. की पढ़ाई पूरी की थी। 34 वर्षीय पंकज कुमार लगभग पिछले दस वर्षों से आरटीआई कानून का उपयोग कर रहे थे। वह आगे चलकर स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता भी करने लगे साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 'अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन' से जुड़े हुए थे, जो कि दक्षिण बिहार में प्रचलित रणवीर सेना का एक अंग है।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

34 वर्षीय पंकज कुमार लगभग पिछले दस वर्षों से आरटीआई कानून का उपयोग शिक्षा विभाग, मध्यान भोजन, बालू खनन सहित अन्य विभागों से सूचना के लिए करते थे। पंकज कुमार की उसके मौसेरे भाई अविनाश पांडेय और अमित पांडेय (जो थाना डोरीगंज, जिला सारण, बिहार के निवासी हैं) से किसी बात को लेकर अनबन था। अविनाश पांडेय और अमित पांडेय दोनों ही सेना में नौकरी करते हैं। निर्मल सिंह बताते हैं कि पंकज को इस बात की जानकारी थी कि अविनाश पांडेय सेना में अमित

पांडेय के सर्टिफिकेट पर बहाल हुआ था और उसके बाद अमित पांडेय ने दुबारा अनीश पांडेय के नाम से परीक्षा देकर खुद नौकरी पाया। यानी कि दोनों ही नौकरी अमित पांडेय के सर्टिफिकेट पर किया जा रहा है। अनबन के कारण वर्ष 2016 में पंकज कुमार ने बिहार रेजिमेंट में अविनाश पांडेय के खिलाफ पेटिशन दायर किया। बिहार रेजिमेंट ने उस पत्र का प्रतिउत्तर भी दिया। पंकज के घरवालों के समझाने बुझाने पर (की इस प्रकार किसी की नौकरी नही छिननी चाहिए) वह बात मानकर आने विभाग से पत्राचार तो नही किया पर अपने दोनों मौसेरे भाई को धमकाने डराने लगे। इसी बात से उसके उसके मौसेरे भाइयों ने उसके हत्या का मन बना लिया था।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

पंकज को किसी से भी जान से मार देने की या अन्य किसी भी प्रकार कोई भी धमकी नहीं मिली थी।

हत्या

1 या 2 जनवरी 2020 को पंकज कुमार की अपने माँ से किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसने अपना काले रंग की बैग, मोबाइल और कुछ कपड़ा लेकर घर से चला गया। घर से निकलकर वो अपने मौसी के घर गया। 3 जनवरी को वे अपने मौसी के घर से वापस अपने घर के लिए चला पर वापस घर नही पहुंचा। 4 तारीख को उनके मौसेरे भाई अविनाश पांडेय के पिता राम जी पांडेय पंकज कुमार के घर पर आकर उनके पिताजी को बताए कि आपका बेटा मेरे घर पर जाकर उल्टा सीधा बोलता है। उसी समय चंदन कुमार के फोन में व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आई। वो तस्वीर कटाढ़ी गॉव के एक लड़के ने भेजा था जो कि चंदन का दोस्त है। फोटो पहचानने के लिए आया था। कटाढ़ी गॉव के बलवा बधार (खेती का मैदान) में एक लाश मिली है। पहचान हुई कि वो मृत शरीर आरटीआई कार्यकर्ता पंकज कुमार का था।

पुलिस जांच

पंकज कुमार के घरवालों ने पंकज कुमार की हत्या के संबंध में रानीतालाब पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ दिनांक 04.01.2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी), 34 व आर्म्स ऐक्ट की धारा 27A के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या-02/20) दर्ज कराई थी।

आरटीआई कार्यकर्ता पंकज कुमार के पिता निर्मल सिंह का मानना है कि पंकज की हत्या उनके मौसेरे भाई ने अपराधियों के साथ मिलकर कारवाई थी और यह बात पुलिस जांच में पाई गई सीडीआर के आधार पर भी सामने आई है।

निर्मल सिंह ने बताया कि अविनाश पांडेय जम्मू कश्मीर में अमित पांडेय के नाम से पोस्टेड था। अविनाश पांडेय का फुफेरा भाई बजरंगी पांडेय, पिता- विंकटेश पांडे, थाना-कछवा, जिला रोहतास से संपर्क किया। तथा विशाल कुमार, पिता-सुनील सिंह, ग्राम दिलावरपुर, थाना बिहटा, जिला पटना जो कि अविनाश और पंकज दोनों का मौसेरा भाई था से भी संपर्क किया। 2 और 3 जनवरी को दोनों ने मिलकर हत्या करने का प्लान तैयार किया। इन दोनों के सहयोग में एक और व्यक्ति अखिलेश सिंह, पिता-अशोक सिंह, थाना बिहटा, जिला पटना भी शामिल रहा। तीन जनवरी को सभी दिलावरपुर पहुंच गए, वहां अखिलेश सिंह ने पिस्टल और मोटरसाइकिल दिया। कोइलवर के पास जब पंकज अपने घर लिए लौट रहे थे तब अपराधी उनसे मिले और बातचीत करते हुए पंकज को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिये। शाम का वक्त हो चला था। गाड़ी बांध के नीचे उतरी तो पंकज के पूछने पर विशाल ने कहा कि उधर भी एक मौसी का घर है वहीं चलते हैं। गाड़ी पर तीन लोग सवार थे, अगर जाकर गाड़ी अनबैलेंस हुई तो गाड़ी पंकज को चलाने के लिए दे दिया। कुछ ही दूर जाने पर विशाल ने उसके माथे में गोली मार दी, दूसरी गोली पंकज के गर्दन में मारा। और उसके बाद अपराधी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला।

सीडीआर सिर्फ सरकारी दूरभाष का निकला जो हत्या और उसके आसपास के समय अविनाश ने फोन से बात किया था। यदि इसकी भी सही से जांच होती तो यह बात स्पष्ट होती कि अविनाश पांडेय लगातार सूरज और विशाल से तथा अपने घर पर बातचीत कर रहा था। पुलिस की लापरवाही के कारण पंकज कुमार के मोबाइल का सीडीआर अबतक नही निकल सका है। पुलिस बैग, मोबाइल, हथियार बरामद नही कर सका है। सिर्फ मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई। पुलिस को लिखित आवेदन देने पर भी सही से जांच नही किया गया।

निर्मल सिंह जी इस बात पर जोर देते हैं कि पंकज की हत्या का मुख्य कारण वो फर्जी प्रमाण पत्र थे, जिसके आधार पर अविनाश पांडे अपने सगे भाई अमित पांडे के नाम पर सेना में नौकरी कर रहा था और इसलिए इस हत्या की जांच में अविनाश पांडे के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अतिमहत्वपूर्ण था।

हत्या होने के एक महिने बाद ही पालीगंज अनुमंडल के उस समय के डीएसपी मनोज कुमार पांडेय ने IO को अविनाश पांडेय के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने का आदेश दिया पर IO ने ऐसा नहीं किया। कोविड लॉकडाउन के दौरान मनोज पांडे का तबादला हो जाने के बाद आए नए डीएसपी तनवीर अहमद ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। निर्मल सिंह आरोप लगते हैं कि जांच अधिकारी ने आरोपी व्यक्तियों से पैसे लेकर ऐसे सबूत पेश किए जिससे ये साबित हो सके कि अविनाश और अमित पांडे एक ही व्यक्ति हैं।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

विशाल कुमार, सूरज पांडेय, अखिलेश सिंह और अविनाश पांडेय को जेल भेजा गया। जिसमे से तीन जमानत पर बाहर है। विशाल को जूवनाइल जिला न्यालाया द्वारा जूवनाइल घोषित किया था, निर्मल सिंह ने इस आदेश की खिलाफ दानापुर जिला न्यायालय में अपील दर्ज की है, यह मामला अभी भी दानापुर जिला न्यायालय में लंबित है और इसी वजह से विशाल कुमार को अभी तक जमानत नही मिली है, वो अभी जूवनाइल होम में है। बाकी पंकज की हत्या के मुख्य केस में अभी गवाही छ्आल रही है है, पुलिस द्वारा जो दो गवाह इस मामले में बनाए गए थे वो अभियुक्त पक्ष से मिलकर हास्टाइल हो गए और कोर्ट के सामने उनकी गवाही पूरी हो चुकी है। अब निर्मल जी और उनके परिवार के कुछ लोगों की गवाही की तारीख आने वाली है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

निर्मल सिंह जी बताते हैं कि उनके लड़के पंकज कुमार की हत्या की घटना से और उसके बाद की पुलिस व कानूनी कार्यवाही को नजदीक से देखने के बाद से उनका पुलिस व न्याय व्यवस्था पर से विश्वास काफी काम हो गया है।

प्रवीण कुमार झा

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता प्रवीण कुमार झा बिहार के बाँका जिले के अमरपुर प्रखण्ड अंतर्गत भरको गॉव के वर्तमान मुखिया थे। 2016 में ये पहली बार मुखिया बने। शुरुआत में आम आदमी पार्टी में सक्रिय थे पर बाद में असक्रिय हो गए। इसके बाद इन्होंने तीन बार बाँका से लोकसभा और चार बार अमरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। मुखिया का चुनाव भी इन्होंने 2001 से 2016 के बीच चार बार लड़ा। चौथी बार मुखिया बनने में सफल हुए। मुखिया के चुनाव में उन्होंने मात्र 1200 रुपये खर्च किये। इसबार इनका चुनाव चिन्ह गाजर छाप था। उनके पिता उपेन्द्र झा सेवा निवृत्त शिक्षक है। वे अपने पिता व माँ के साथ रहते थे। प्रवीण कुमार झा 2006 से आरटीआई आवेदन करते थे। जिलाधिकारी द्वारा गठित मानवाधिकार समिति के सदस्य भी रहे थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

आरटीआई के माध्यम से बाँका जिले के कई मामलों का (जिसमे अनियमितता पाई गई थी) खुलासा करते रहते थे और कई बार धरना, प्रदर्शन और आमरण अनशन कर मुद्दे की लड़ाई लड़ते थे। इनके द्वारा उजागर मामले में राम नारायण मंडल (पूर्व मंत्री मत्स्य एवं पशुपालन विभाग) तथा सुरेंद्र सिंह कुशवाहा (पूर्व मंत्री स्वास्थ राज्य) पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इनकी वजह से सोलर लाइट व इंदिरा आवास योजना में घोटाले को लेकर पंचायत सचिव पर एफआईआर दर्ज हुई थी।

बालिका उच्च विद्यालय, कसवा में +2 स्कूल के सामान खरीदारी में किये घोटाले को लेकर हुए मुकदमा चल रहा है। कटोरिया प्रखण्ड के जयपुर में भवन मामले में BDO ने सचिव पर एफआईआर दर्ज कराया। उक्त दोनों मंत्री पर CJM ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर किये थे।

इन्होंने अवैध बालू खनन और खुले में बालू ढुलाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। उन्होंने कुल तीन बार आमरण अनशन किये, दो बार विद्यालय के मामले में कार्यवाही नही होने के खिलाफ अनशन किये और एक बार अमरपुर को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर अनशन किया और DM और DDC के आश्वासन के बाद ही अपना अनशन तोड़ा। उनके अनशन करने का अंदाज अनोखा था, वो अपने साथ कफ़न और चचरी रखते थे।

उनके भाई के अनुसार उन्होंने 500 से अधिक आवेदन किये थे और इन्हीं कारणों से प्रवीण कुमार झा पर पूर्व में एक वार्ड सदस्य द्वारा नल जल योजना में हुए विवाद के करण SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा किया गया था। सिविल एसडीओ ने एक केस डीलर के फेवर में आकर करवाया था, जिसके विरोध में गॉव से भारी संख्या में महिलाएं आगे आई और थाली बजाकर जिले में घेराव किया। घेराव के पश्चात एफआईआर वापस लिया गया।

प्रवीण कुमार झा के हत्या के कुछ दिन पहले गॉव वालो की शिकायत पर दो डीलर प्रेमानंद यादव और राजीव चौधरी को पंचायत में बुलाया गया था। इस पंचायत के दौरान दोनों में विवाद हुआ और राजीव चौधरी ने प्रेमानंद यादव के साथ मारपीट की थी। MO और SDO आपूर्ति के जाँच के दौरान डीलर राजीव चौधरी गबन का मामला बना और दुबारा लाइसेंस रद्द किया गया। प्रवीण कुमार झ की वजह से राजीव चौधरी डीलर का दो बार लाइसेंस रद्द हुआ था, पहली बार साल 2014-15 के आसपास हुआ था पर राजीव चौधरी को हाई कोर्ट से रद्द लाइसेंस वापस मिल गया था। प्रथम बार लाइसेंस रद्द होने पर भी प्रवीण कुमार झा पर फर्जी मुकदमा करवाने का प्रयास किया था पर जांच के बाद प्रवीण कुमार के ऊपर फर्जी एफआईआर रद्द हो गई थी और आवेदक को माफीनामा पर थाना प्रभारी ने जाने दिया था। राजीव चौधरी का एक भाई होटल चलाता था और शराब के अवैध कारोबार में शामिल था। पुलिस द्वारा छापेमारी में पकड़े जाने पर उसे लगा कि यह काम मुखिया प्रवीण कुमार झा ने करवाया है।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

प्रवीण कुमार झा के भांजे विशाल ने बताया कि दूसरी बार लाइसेन्स रद्द होने के बाद डीलर राजीव चौधरी, उसके लड़के अमरदीप चौधरी और नीरज चौधरी ने 25.05.2020 को प्रवीण कुमार झा के घर में घुस कर उन्हें बोलेरो गाड़ी से कुचल कर मार डालने की धमकी दी थी।

हत्या

6 सितंबर 2021 को बैंक मैनेजर ने मास्क के लिए प्रवीण कुमार झा को कॉल किया। इसके बाद प्रवीण झा वहां गये। प्रवीण झा को बैंक से पैसा भी निकालना था। वहाँ राजीव चौधरी का बेटा अमरदीप चौधरी मौजूद था। वहां राजीव चौधरी के बेटा और प्रवीण कुमार झा का किसी बात पर बहस हो गई। वहां से प्रवीण झा जब अपने घर मोटरसाइकिल से जाने लगे तब बोलेरो से अमरदीप चौधरी ने धक्का मार दिया। और फिर गाड़ी बैक करके उसने शरीर पर कुचल दिया। जिससे प्रवीण कुमार झा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। प्रवीण कुमार झा के भांजे विशाल ने बताया कि पुलिस घटना स्थल पर 2 घंटे बाद पहुंची जबकि अमरपुर पुलिस थाना घटना स्थल से काफी पास में था पर पुलिस दूसरे पुलिस स्टेशन (साहिबगंज) से आई जो घटना स्थल से थोड़ा दूर था।

पुलिस जांच

दिनांक 06.09.2021 को घर वालों ने घटना थाना अमरपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी) व 34 के अंतर्गत प्राथमिकी (केस न. 452/21) दर्ज कराई थी। घर वालों ने सात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था जिसमें से सिर्फ तीन का नाम पुलिस द्वारा ट्रू किया गया था। प्रवीण कुमार झा के भांजी श्वेता कुमारी ने बताया कि चश्मदीद गवाह ने पुलिस के समक्ष जो बयान दिया था उसमें सभी सात अभियुक्तों का नाम बताया था। इस बयान के अनुसार प्रवीण की हत्या जिस वाहन से की गयी उसमें चालक की जगह पर अमरदीप चौधरी उर्फ छोटू चौधरी पिता राजीव चौधरी के साथ अन्य चार व्यक्ति 2. राजीव चौधरी 3. नीरज चौधरी, 4. फनटूश चौधरी और 5. विवेका चौधरी थे तथा अन्य दो नामजद अभियुक्त 6. प्रिंस चौधरी 7. प्रेम चौधरी मोटरसाइकिल से कथित बोलेरो गाडी के आगे-आगे चल रहे थे ताकि हत्या की योजना किसी भी हाल में असफल न हो।

स्थानीय पुलिस ने घटना की उपरोक्त सही जानकारी 24 घंटे के अन्दर प्राप्त कर ली थी परन्तु पर्यवेक्षण पदाधिकारी सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका ने एक साक्षी सुनील कुमार झा के बयान को तोड़ मरोड़ और उसे आधार बनाकर कुल चार नामजद अभियुक्तों 1. विवेका चौधरी, 2. फनटूश चौधरी, 3. प्रिंस चौधरी और 4. प्रेम चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। परिवार की मांग है कि प्रशासन सभी सात नामजद लोगों पर एफआईआर कर सभी को गिरफ्तार करें। परिवार ने अपनी इन मांगों को पुलिस जांच की खामियों को लेकर पूर्वी प्रक्षेत्र, भागलपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय परिजनों को और माननीय मुखमंत्री जी को 29.09.2021 को उनके जनता दरबार में जाकर ज्ञापन दिया था।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

25.05.2022 को पटना हाई कोर्ट द्वारा नीरज चौधरी को जमानत दे दी गई और प्रिंस चौधरी और फनतूश चौधरी को भी कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मिल गई है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

प्रवीण जी के परिवार ने बताया कि प्रवीण जी की भांजी, श्वेता ने बाते की उन्होंने अपने गांव की अनारक्षित सीट से मुखिया का चुनाव लड़ा और जीता भी लेकिन चुनाव का नतीजा गिनती के बाद धोके से पलट दिया गया। परिवार ये भी बताता है कि चुनाव के दौरान प्रवीण की हत्या के आरोपी उन पर केस वापिस लेने का चुनाव न लड़ने का दबाव बनाते रहते थे और ऐसा ना करने पर प्रवीण की तरह जान से मार देने की धमकी भी देते थे। इन्हीं धमिकयों के चलते श्वेता ने चुनाव के दौरान ही भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक को इन धमकियों के बारे में जानकारी देते हुए, उचित सुरक्षा प्रदान करने और प्रवीण कुमार झा हत्या केस में कानूनी कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की थी साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 29.09.2021 को लिखे पत्र में भी इन सभी तथ्यों की जानकारी देते हुए उपरोक्त मांगों को दोहराया था पर उनके किसी भी पत्र पर अभी तो कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रवीण जी के भांजे विशाल का कहना है की प्रवीण जी हमेशा ही समाज के भले के लिए काम करने के लिए कहते थे पर आज वो समाज के प्रति अपने काम के चलते न ही अपने माता-पिता के लिए जीवित रहे और न ही समाज के लिए जीवित रहे और उनके परिवार को भी समाज ने किसी भी समर्थन के बिना छोड़ दिया है।

राजेश कुमार यादव

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता राजेश कुमार उर्फ राजेश यादव बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैंती थाना अंतर्गत बाखरपुर पश्चिमी पंचायत के निवासी थे। पिता का नाम सियाराम यादव है। राजेश कुमार ब्लॉक में JE के साथ सहयोगी के रूप में रहते थे। उनकी हत्या 12.12.2012 को किया गया था। उस समय राजेश कुमार की उम्र लगभग 30 साल था। उनकी शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी भी थी। राजेश कुमार ने अपनी हत्या से कुछ समय पहले से ही सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू किया था।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2010-11 में अपने पंचायत में आवंटित इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के नाम व उम्र की सूची मांगा था। उस लिस्ट में एक ही नाम कई बार पाया गया। BDO को तत्कालीन मुखिया ने मैनेज कर लिया था। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर BDO पर जुर्माना लगाया गया। मुखिया का नाम तुरण मंडल था। मुखिया पर विश्वनाथ मंडल नाम के एक व्यक्ति ने इंदिरा आवास योजना में किये घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया। पर मुखिया पर प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया। इसके बाद अम्बिका मंडल नाम के एक व्यक्ति ने भी इस बात की लिखित शिकायत की। जब इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण एकजुट होने लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आरटीआई कार्यकर्ता राजेश कुमार का साथ देने

लगे तब इस मामले को समाप्त करने के लिए मुखिया ने इन्हें पांच लाख रुपये देकर मामले को समाप्त करने के लिए कहने लगा। मुखिया भारतीय जनता पार्टी के जिला कमिटि में किसी पद पर था। मुखिया का भतीजा प्रिंस कुमार उस समय पिरपैंती से भाजपा का प्रखण्ड अध्यक्ष था।

हत्या

एकदिन राजेश कुमार के पिता भागलपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस से लौट रहे थे। राजेश कुमार मोटरसाइकिल से उन्हें रिसिब करने पिरपैंती स्टेशन गये पर वे उन्हें वहां नही मिले। उनके पिताजी किसी जीप से अपने घर लौट गए। विनोद यादव मधुबन वाले ने राजेश कुमार को अपने घर पहुंचाने को कहा। वे उन्हें पहुंचाकर लौट रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनके हत्या के मंशा से उन्हें रास्ते मे पकड़कर मारा। उन्हें लौटते समय बुलबुल सिंह ने फोन करके बुलाया था। अगले दिन सुबह तकरीबन 8 बजे ब्लॉक के सामने उनका शव मिला।

पुलिस जांच

इस मामले में 6 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया। 2 को जेल हुआ, अभी बेल पर है। बांकियो पर कोई कार्यवाही नही हुई। मुखिया ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजन कुमार को सात लाख रुपये देकर केस मैनेज कर किया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार का साथ देने के बजाय उन्हें डिमोटिवेट किया। तत्कालीन डीएसपी एक महिला थीं उन्होंने मृतक राजेश कुमार के पिता से कम से कम लोगों का नाम देने के लिए कहा और कहा कि हम आपको मदद करेंगे लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। पुलिस ने मृतक के पिता सियाराम यादव जी को थाने बुलाकर एक रूम पर बैठने को कहा की हम आपको सभी दोषियों के नाम बता देते हैं पर यदि हम उनलोगों पर कार्यवाही करेंगे तो वे लोग हमको मार देंगे। आप उन्हें छोड़ दीजिए।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

अभी इस केस में गवाही होनी पर पर केस के इंवेटिगेटिंग अफसर गवाही में नही आ रहे है। 5 बार डेट दिया जा चुका है। इस केस में गवाह और वर्तमान में उस पंचायत के मुखिया अम्बिका प्रसाद कहते हैं कि हमलोग जिस लाभार्थी के लिए काम कर रहे थे उसे उस मुखिया ने मैनेज कर लिया।

हमने सूचना आयुक्त को भी एकबार लिखित शिकायत किया पर उसका जबाब नही आया। उक्त घटना बिहार में तब उजागर हुई जब राज्य सूचना आयुक्त के यहाँ से राजेश कुमार को एक मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया। उनके स्थान पर उनके पिता सियाराम यादव आयुक्त कार्यालय में उपस्थित हुए। राजेश कुमार का नाम पुकारने पर उन्होंने कहा कि हुज़ूर उनको मरे हुए 2वर्ष बीत चुके हैं। और इस मामले पर प्रशासन भी ठीक से कार्यवाही नहीं कर रही है।

राम विलास सिंह

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता राम विलास सिंह लखीसराय के बभनगामा गॉव के निवासी थे। गॉव की राजनीति में रहते और खेतीबाड़ी करते थे। राम विलास सिंह अमहरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य थे। राम विलास सिंह पहले भी एक बार अमहरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य और मुखिया के पद की लिए चुनाव लड़ चुके थे जिसमें उनको असफलता मिली थी पर वह दूसरी बार में अपने गाँव के राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह की पत्नी को हराकर अमहरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बनने में सफल रहे थे। रामविलास सिंह द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) का इस्तेमाल कर योजनाओं की जानकारी निकालने और उनमें हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की वजह से वह की भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की आँख की किरकिरी बन चुके थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

आरटीआई कार्यकर्ता राम विलास सिंह 2006 से ही आरटीआई पर कार्य करते थे। उन्होंने 2001 में मुखिया पर पर चुनाव लड़ा पर जीत नहीं हुई। 2006 में इन्होंने "काम के बदले अनाज" योजना का एक ट्रक चावल जिसे अवैध तरीके से बेचा जा रहा था, जब्त करवाया। यह मामला थाना कांड संख्या 106/06 दर्ज हुआ। इस मामले में खुद राम विलास सिंह व उनके बेटे गवाह बनें। बाद में जब इस मामले में ज्यादा कुछ होता नहीं दिखा और पुलिस का रवैया तस्करों के पक्ष में दिखा तो उन्होंने इसकी जानकारी आरटीआई लगाकर मांगी।

उसके बाद कई धमकियां मिली। इसमे तत्कालीन मुखिया नितेश सिंह उर्फ निख्खी बॉस शामिल था।

राम विलास सिंह जनवितरण प्रणाली, बाल विकास परियोजना (आंगनबाड़ी), सड़क निर्माण, इंदिरा आवास योजना, केसीसी लोन, पैक्स, PWD, REO, लघु सिंचाई विभाग, कृषि योजनाएं आदि पर आरटीआई करते थे। आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली में हुए धांधली को इन्होंने आरटीआई के माध्यम से उजागर किया जिसकी वजह से पुरानी नियुक्तियों को रद्द करके नयी नियुक्तियां की गई। इंदिरा आवास योजना में हुए धांधली को उजागर होने पर तत्कालीन बीडीओ विभु विद्यार्थी पर उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया, इस मामले की कार्यवाही अंतिम चरण में थी जब उनका हत्या हुई। जनवितरण (PDS) में चोरी का मामला सामने आने पर उसका लाइसेंस रद्द किया गया। पीडीएस दुकानदार इनका भाई लगता है, इसने इस मामले में इनपर अपनी पत्नी से बलात्कार के झूठा मुकदमा करवाया। एक बार 2008-09 के आसपास आरटीआई कार्यकर्ता राम विलास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था पर तत्कालीन एमएलसी गिरिराज सिंह के फोन पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था।

केसीसी के मामले में पैक्स अध्यक्ष द्वारा बैंक मैनेजर के मिली भगत से सभी किसानों के नाम पर फर्जी एकाउंट खुलवालर लोन निकाल लिया गया, जब बैंक ने अपने कस्टमर को एटीएम कार्ड भेजा तब लोगो को इस बात की जानकारी मिली। उसके बाद शिकायत और बैंक मैनेजर पर कार्यवाही करवाने की बात पर सभी किसान को लोन वाला पैसा वापस किया गया। इसी प्रकार लखीसराय बाजार के विद्यापीठ चौक से रेहुआ जाने वाली सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमे पेपर पर 40 फ़ीट चौड़ी सड़क बनी ऐसा बताया गया था पर सड़क इतनी चौड़ी नही बनी थी। जब इस मामले की जांच हुई तब नगर परिषद कार्यपालक अवध किशोर यादव को बर्खास्त किया गया। अवध किशोर यादव पूर्व कृषि मंत्री, बिहार नरेंद्र सिंह व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव के करीबी माने जाते थे। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने आदमी को 4 लाख रुपये लेकर समझौते के लिए आरटीआई कार्यकर्ता के घर भेजा पर इन्होंने लेने से मना कर दिया।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी। इन्होंने हत्या से पांच महिने पहले थाने में एक सनहा दिया था जिसमे 12 लोगों का नाम शामिल था। इसमे पूर्व मुखिया, जिला कृषि सलाहकार आदि शामिल था।

हत्या

8 दिसम्बर 2011 को जब उनकी हत्या हुई तब वे पंचायत समिति के सदस्य थे। वे अपने गाँव मे ही एक तेरहवीं के कार्यक्रम में जलार्पण के लिए जा रहे थे, उसी समय उनपर कार्बाइन से अपराधियों ने गोली चलाई पर वो मिसफायर हो गया, फिर अपराधियों ने उन्हें सिंगल शॉट कट्टा से गोली मार दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए लखीसराय बाजार और बभनगामा गॉव के कुछ लोगों ने मिलकर 25 लाख रुपये इकट्ठा किया और एक आदमी ने अपना 10 कट्ठा जमीन बेचा। तत्कालीन जिला कृषक सलाहकार मृत्युंजय सिंह के बंगले पर मृत्यंजय सिंह, रजनीश कुमार (अधिवक्ता), नितेश सिंह (मुखिया) ने घटना को अंजाम देने का प्लानिंग किया।

पुलिस जांच

यह घटना लखीसराय थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के अन्तरगत कांड संख्या- 522/11 के रूप में दर्ज है। पीड़ित परिवार की ओर से इस घटना में संजीव पांडे, राकेश सिंह उर्फ बमबम सिंह और दिलखुश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बिहार मानवअधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग दोनों ने ही इस मामले का संज्ञान लिया और राम विलास सिंह की हत्या के मामले में त्वरित कार्यवाही करने व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आदेश पारित करके पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया।

पुलिस ने वेरिफिकेशन में तीन लोगों का नाम ट्रू किया तथा दो और अज्ञात लोगों के नाम पुलिस ने अपने जांच के क्रम में जोड़े। दोनों अज्ञात व्यक्ति का नाम रौशन सिंह ही था। बाद में चलकर दोनों अज्ञात अभियुक्त जमानत पर बरी हो गया है। संजीव पांडे को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। अन्य लोगों पर मुकदमा न्यायपालिका में चल रहा है।

अभिषेक कहते हैं पुलिस ने अपनी जांच ठीक से नही किया। पिताजी द्वारा पहले दिए गए सनहा पर कोई कार्यवाही नही हुई उसी का नतीजा हुआ कि उन्हें जान में मार दिया गया। अबतक पिछले मामले जिन्हें आरटीआई के माध्यम से उजागर किया गया उसपर भी प्रशासन ने आगे कोई कार्यवाही नही हुई। हमारे परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा या सहयोग राशि नही दिया गया इन्होंने आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस मांगा था पर वो भी नही मिला।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

वर्तमान में पीपी (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) इस हत्या का मुकदमा लड़ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता राम विलास सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ सोनू सिंह कहते हैं उनके पास केस लड़ने के पैसे नही है इसीलिए वे पीपी के भरोसे चल रहे हैं। बीच बीच मे पीपी को पांच सौ रुपये देते हैं ताकि आरोपियों को बेल ना मिले।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

आरटीआई कार्यकर्ता राम विलास सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ सोनू सिंह एक प्राइवेट ठेकेदार के अंदर बरौनी रिफाइनरी में काम करते हैं। उनके ऊपर अपनी पत्नी और दो बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। गॉव में उन्होंने पिता के हत्या के बाद जाना छोड़ दिया। इनके पिता ने लखीसराय कार्यानंद नगर में एक घर बनाया था वे लोग वही रहते हैं या फिर जहाँ वे काम करते हैं वहां रहते हैं। इन्हें भी कई बार धमकियां मिली और मारने का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत वे कई बार थाने में दे चुके हैं।

राम कुमार ठाकुर

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता सह अधिवक्ता राम कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना अंतर्गत रतनौली पंचायत के निवासी थे। वे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकालत करते थे। राम कुमार ठाकुर ने मुजफ्फरपुर स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से M.Com व LL.B. की पढ़ाई पूरी की थी। राम कुमार ठाकुर एक मध्य वर्गीय परिवार से थे और अपने माता-पिता, पत्नी और तीन बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर स्थित अपने घर में रहते थे। उनके लड़के अभिजीत गर्ग ने बताया कि वो मुजफ्फरपुर के पहले आरटीआई कार्यकर्ता थे और सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पहले दिन से उनके पंचायत और प्रखण्ड सत्र पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में सूचना मांगते रहते थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

आरटीआई के माध्यम से अपने गॉव पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना लेते रहते थे। राम कुमार ठाकुर ने रतनौली पंचायत में मनरेगा कार्य, सोलर लाइट, इंदिरा आवास योजना सहित पंचायत के अन्य कार्यों का ब्यौरा सूचना का अधिकार माध्यम से मांगा था। इंदिरा आवास चयन की प्रक्रिया में सहित अन्य कई कार्यों में गड़बड़ी पाई गई। राम कुमार ठाकुर हत्या के कई साल पूर्व से सूचना पर मांगते रहे थे। अभिजीत गर्ग (पुत्र राम कुमार ठाकुर) बताते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता संजय सहनी के प्रयास से रतनौली पंचायत में एक सामाजिक अंकेक्षण और जनसुनवाई का आयोजन किया गया था।

इस ऑडिट में संजय सहनी को राम कुमार ठाकुर ने पंचायत के कार्यो की सूचना का डॉक्यूमेंट दिया। इस सूचना के अनुसार मनरेगा में हुई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, साथ ही आवास योजना के चयन में भी गड़बड़ी की बात उजागर हुई। मामला सामने लाने वाले यही है यह जानकर इस जनसुनवाई के दौरान ही पंचायत के तत्कालीन मुखिया और रामकुमार ठाकुर के बीच बकझक और हाथापाई हुई। इस मामले में थाना और BDO को लिखित सनहा दिया गया जिसका संख्या 625/12 और 629/12 दर्ज है। इसी पंचायत के निवासी सुंदरेश्वर सहनी द्वारा अनियमितता को लेकर निगरानी कोर्ट में केस दर्ज किया गया जिसमें राम कुमार ठाकुर मुख्य गवाह बनाये गए। केस संख्या 34/12 है।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

इस हत्या के पीछे की लड़ाई की शुरूआत का मुख्य कारण यही है। इस घटना के बाद राम कुमार ठाकुर पर कई बार गवाही नही देने का दवाव बनाया गया। जब वे नही माने तो गॉव के ही एक दूसरे राजकुमार सहनी (मुखिया नही) के घर पर पुलिस द्वारा रामकुमार ठाकुर को बुलाकर उन्हें तत्कालीन मुखिया से समझौता करवाने का प्रयास किया, वहां मृतक राम कुमार ठाकुर के साढू भी साथ मे मौजूद थे। वहां भी बात नही बनी और लड़ाई बढ़ गया। इसके बाद कई बार राम कुमार ठाकुर और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी मिलती रही। घटना से लगभग एक महीने पहले मुखिया, उसके भतीजे और कुछ लोगों द्वारा राम कुमार ठाकुर के घर पर आकर उनके भाई के साथ मारपीट किया। इस बात की लिखित शिकायत थाना में दिया गया पर एफआईआर दर्ज नही हुआ। राम कुमार ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन का सहयोग नही मिलने और मुखिया से मिले होने के कारण घटना की जानकारी और सुरक्षा की मांग उच्च प्रशासनिक अधिकारियों (SP, DIG, IG) से भी किये पर कोई सुरक्षा मुहैया नही हुआ। पहले पुलिस द्वारा मामले को रफादफा करने के लिए समझौता करवाने का प्रयास किया गया और उसके बाद रामकुमार ठाकुर और उनके भाई द्वारा दिये गए एक भी सनहा पर आगे पूछताछ या करवाही नही की गई। धमकी के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराने और बात तो दूर है, थानेदार सफीर आलम ने इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की।

हत्या

23 मार्च 2013 को मुजफ्फरपुर कोर्ट से घर लौटते समय घात लगाए अपराधियों ने राम कुमार ठाकुर की हत्या गोली मारकर कर दी। साथ मे राम कुमार ठाकुर का भतीजा अधिवक्ता सुजीत कुमार उनके साथ मौजूद थे। घटना के बाद आनन फानन में उन्हें एक ऑटो में सवार कर स्थानीय प्राइवेट मां जानकी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच उन्हें अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी रास्ते मे अज्ञात लोगों द्वारा बदल दी गई और वे देर से अस्पताल पहुंच पाए।

पुलिस जांच

इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने राम कुमार ठाकुर की हत्या के संबंध में मनीयरी पुलिस थाने में दिनांक 24.03.2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी), 34 व आर्म्स ऐक्ट की धारा 27A के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 48/13) दर्ज करी थी। राम विलास ठाकुर के परिजनों का कहना है कि उन्होंने प्राथमिकी में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया पर पुलिस ने एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। अधिवक्ता संघ ने काला बिल्ला बांधकर कोर्ट में गए मगर जब आठ दिनों बाद भी छह में से एक भी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नही किया तो उन्होंने सड़को पर प्रदर्शन किया। माले सहित कई अन्य संगठनों ने भी रामकुमार ठाकुर के न्याय के लिए प्रदर्शन किए। सबने अपने अपने तरीके से जांच और मृतक के परिजनों को सहयोग राशि देने की मांग की पर सरकार की ओर से कभी कुछ मुहैया नही करवाया गया। राम कुमार ठाकुर के पुत्र व भाई बताते हैं कि पूरे मामले में पुलिस ने अपना काम कभी ठीक से नही किया।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को दो रिपोर्ट सौंपी थी। पहले रिपोर्ट में दो आरोपी को दोषी ठहराया था और दूसरी रिपोर्ट में पांचों को बेगुनाह बताया पर कोर्ट ने डायरी में पांचों आरोपियों को दोषी पाने जितना साक्ष्य पाया। और सभी नामजद अभियुक्तों पर धारा 302, 120 बी, 34 व आर्म्स एक्ट के तहत संज्ञान लिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सिर्फ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जबकि बांकी चार अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं।

अभिजीत गर्ग कहते हैं मैं जब कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर थाने पर गया तक पुलिस अधिकारी द्वारा कहा गया कि खाली हाथ गिरफ्तारी नही होती है। वे मुझसे गिरफ्तार करने के बदले पैसे मांग रहे थे।

छै नामजद आरोपियों में से एक आरोपी, मुखिया की रामकुमार ठाकुर की हत्या के थोड़े समय बाद ही मृत्यु हो गई, एक नामजद आरोपी ब्रह्मानन्द साहनी को साल 2015/2016 में STF ने गाँव से ही पकड़ा और उसको जेल भेजा, एक नामजद आरोपी को पुलिस ने दिसम्बर 2021 में तब पकड़ा जब वो आपकारी विभाग द्वारा गाँव में पड़ी एक शराबजब्ती रेड में पकड़ गया। दो नामजद आरोपी अभी भी बिना किसी दर के गाँव में आम जीवन जी रहे हैं। हमने पुलिस से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए की बार आवेदनन भी किया, काभी पुलिस हमारे आवेदन पर की बार कार्यवाही करने का आश्वासन देती है तो काभी उन्हें फरार बताने लगती है। हमने इस मामले में कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस को आदेश दिया की वो बाकी दोनों आरोपीयों को गिरफ्तार करे पर पुलिस ने आजतक उनको गिरफ्तार नहीं किया है।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

मृतक के परिजन कहते हैं हमने अदालत में लड़ाई तो जीत लिया पर जमीन सड़को पर हमारे साथ कोई नही है जो पुलिस को उसकी जवाबदेही बता सके। जनसंगठनों के साथी पहले तो सहयोग में रहे पर अब सभी अपने अपने कार्यो में व्यस्त हो गए। पुलिसिया गैरजिम्मेदाराना हरकतों के कारण मुझे न्याय नही मिला है। वहीं बचाव पक्ष में स्थानीय मुखिया के समर्थकों ने भी यह कहते हुए की मुखिया पर लगाया गया आरोप झूठा है, मामले की उच्च स्तरीय जांच के पूर्व एक भी गिरफ्तारी नही होने की मांग की।

शशिधर मिश्र

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

शशिधर मिश्र उर्फ खबरी लाल फुलवड़िया थाना के अंतर्गत आने वाले फूलवड़िया निवासी थे। शशीधर मिश्र के घर मे उनके अलावे उनकी पत्नी, दो बेटे और दो बेटियाँ थी तथा उनका भाई व उनकी पत्नी तथा दो बच्चे थे। शशीधर मिश्र का परिवार निम्न आयवर्ग का था और वे अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकान में सामान पहुंचाने और साइकिल पर कपड़े बेचने का काम करते थे। शशीधर मिश्र भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लोकहित संघ के संचालक भी थे। उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के अनतर्गत साल 2006 से ही सरकारी योजनाओं में होने वाले काम और उनमें होने वाले खर्चों के बारे में व अन्य अवैध कार्यों को पर्दाफाश करने के लिए जानकारी मांगना शुरू कर दिया था।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

शशीधर मिश्र ने साल 2006 में ढक्कन सहित नाले के निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया। 2008 में इन्होंने अवैध लॉटरी के कारोबार का उद्भेदन, बरौनी स्थित कृष्णा रेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया। वर्ष 2009 में इन्होंने फुलवड़िया पंचायत-2 स्थित प्रभारी सरपंच रंजीत मिश्र के कबाड़खाना से रेलवे के चोरी के लोहे बेचने का अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। 2009 में ही विधायक क्षेत्रीय विकास फंड से बने नाले में गड़बड़ी/ भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया।

स्व.मिश्र मुख्यतः स्थानीय समस्या से जुड़े मामले, विद्यालय, बाल विकास परियोजना, रेलवे टेंडर्स, रजिस्ट्री आफिस, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, थाना (पुलिस स्टेशन), आंगनबाड़ी से प्रखण्ड व अनुमंडलीय स्तर पर जानकारी प्राप्त कर इसमे हुए भ्रष्ट्राचार व गड़बड़ी के मामले को उजागर करते थे।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

वे बताती हैं- इनकी हत्या के कुछ दिनों पहले उनकी साइकिल चोरी हो गई थी। स्व. मिश्र ने इसका एफआईआर किया था। स्व. मिश्र पर पहले कई बार जानलेवा हमला हो चुका था। उनके हत्या के कुछ ही महीने पहले NH-28 पर छड़ फैक्टरी के समीप इनपर अपराधियों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया था, उनसे मोबाइल छीन लिया और उन्हें धमकी दी कि आगे से कोई मामला उठाएगा तो गोली मार देंगे। इस हमले में मेरे पड़ोसी जिससे मेरा जमीनी विवाद चल रहा था वो भी शामिल था। थाना अध्यक्ष से सूचना मांगने के बाद से उन्होंने भी स्व मिश्र से जुड़े अपराधियों पर कार्यवाही करना बन्द कर दिया। स्व मिश्र पर 2006 (नालसी नंo- 332सी/ 2007 में इंदिरा आवास योजना के लाभ दिलाने के मामले में ठगी करने को लेकर मो शाहजहां द्वारा एफआईआर किया गया था। 2008 में भी स्व मिश्र पर रेलवे स्टेशन के पास छीना झपटी और मारपीटकर हर महीने हफ्ता (रंगदारी की रकम) देने का केस दर्ज है।

हत्या

आरटीआई कार्यकर्ता शशिधर मिश्र (उर्फ- खबरीलाल) उम्र- 30वर्ष (लगभग), ग्राम- फुलवडिया, थाना- फुलवडिया, जिला- बेगूसराय की हत्या 14 फरवरी 2010 की रात को बाजार से घर लौटने पर घात लगाए चार अपराधियों ने माथे पर गोली मारकर कर दी।

पुलिस जांच

अनीता देवी बताती हैं कि स्व. मिश्र के हत्या के समय उन्होंने कोई केस दर्ज नही किया क्योंकि वो मानसिक रूप से कुछ भी निर्णय लेने के योग्य नही थी। पुलिस ने खुद शशीधर मिश्र की हत्या के संबंध में फुलवड़िया पुलिस थाने में दिनांक 14.02.2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 34 के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 10/10) दर्ज करी थी।

केस दर्ज किया और स्थानीय लोगों के दवाव में आकर 24 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अनीता देवी का मानना है कि उनके पति स्व. मिश्र के मारने में उनके पडोसी ही शामिल थे और इस मामले में पांच लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनीता देवी व उनके पुत्र सूर्यकांत मिश्र ने बताया कि अभी तक शशिधर मिश्र के केस में किसी भी नामजाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस ने शुरू में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे शशिधर मिश्र की काम से संबंधित कुछ रंजीश थी और हत्या में उनके भूमिका की जांच भी गई थी, आरोपियों को जेल भी हुई।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

फिलहाल जेल गए सभी आरोपी अभी बेगुसऊरई सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर बाहर हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अनुसार अनिता देवी ने कोर्ट में गवाही दी पर उसे गलत (झूठ) करार दे दिया गया। अन्य गवाहों ने गवाही देने से इनकार कर दिया।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

स्व. मिश्र की पत्नी अनिता देवी कहती हैं, घर मे उनके अलावे में, दो बेटे और दो बेटियाँ है, एक देवर व उनकी पत्नी तथा दो बच्चे हैं। स्व. मिश्र का परिवार निम्न आयवर्ग की कोटि में आता है। वे अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकान में सामान पहुंचाने, और साइकिल पर कपड़े बेचते थे। उनके जाने के बाद हमारा घर बिखर गया, घर जो घर है वह रहने लाइक नही है। हमने अपने थोड़े से बचे जमीन को बेचकर इसे ठीक करवाया है। एक बेटी की शादी की और एक बेटा ITI में पढ़ाई कर रहा है। पति के हत्या के बाद कुछ देवर उनके केस को लड़ते रहे पर परिवार उजाड़ने और जान से मारने की धमकी से मानसिक तनाव के कारण अब वे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर किसी तरह राशन आदि की व्यवस्था कर और अपने मायके वालों से मदद लेकर जीवन यापन कर रही हूं। अबतक दो बार दिल्ली जा चुकी हूं। एक बार वहां अवार्ड और 1.33 लाख रुपये की मदद की गई। दूसरी बार अन्ना हजारे के आंदोलन के समय दिल्ली गई थी। अनीता देवी का कहना है कि आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण अब कहीं नही जाती हूँ। बीते 09-06-2021 को जी.आर.संख्या-1090/2008 थाना कांड संख्या-79/2008 के मामले में उपस्थित होने का नोटिस आया था पर अब वो अब कहीं नहीं जाती हैं।

सुरेन्द्र शर्मा

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

आरटीआई कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा नदौल स्टेशन के पास स्थित बेर्रा (बड़की बेर्रा) गॉव के निवासी थे। यह गॉव थाना मसौढ़ी , प्रखण्ड मसौढ़ी, जिला पटना के अंतर्गत आता है। 65 वर्षीय सुरेंद्र शर्मा पेशे से लघु किसान थे। सुरेंद्र शर्मा तीन भाई थे। उन्होंने विवाह नही किया था। आरटीआई कानून आने के साथ ही उन्होंने इसका इस्तेमाल करना और सूचना मांगना शुरू कर दिया था। सुरेंद्र शर्मा 2012-13 के पंचायतीराज उपचुनाव में सरपंच पद का चुनाव लड़े थे। पर वह चुनाव हार गए। सुरेन्द्र शर्मा युवा कांग्रेस के मसौढ़ी प्रखंड के अध्यक्ष भी थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

सुरेंद्र शर्मा आरटीआई से अधिकांश जानकारी पंचायत के विकास कार्य की लेते थे। उनके घर के पास बिचली गली(सड़क) को लेकर वर्तमान मुखिया से अनबन हुई। APL-BPL परिवारों के एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर भी उन्होंने सूचना मांगा था इस कारण उनका गैस एजेंसी के मालिक सर्वेश यादव से विवाद हुआ। हालांकि सर्वेश यादव के गैस एजेंसी खोलने में भी सुरेंद्र शर्मा ने मदद किया था।

धमकी, सुरक्षा के लिए अनुरोध

सुरेन्द्र शर्मा को किसी से भी जान से मार देने की या अन्य किसी भी प्रकार कोई भी धमकी नहीं मिली थी।

हत्या

29 मार्च 2015 को आरटीआई कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा साइकिल और कुछ कागजात(पेपर्स) आदि लेकर घर से निकले पर वापस घर नही लौटे। उनके छोटे भाई नरेंद्र शर्मा ने उनके घर नही आने पर पता लगाना शुरू किया पर कोई जानकारी हाथ नही आई। अगले दिन कॉल करने पर शुरुआत में उनके मोबाइल का रिंग बजा पर फिर ऑफ बताने लगा। तब नरेन्द्र शर्मा ने पटना में रह रही अपनी भाभी और भतीजी को घर बुलाया और साथ जाकर सुरेंद्र शर्मा के गुमसुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद भी दो तीन लोग मिलकर आसपास के इलाकों में उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे। 3 अप्रैल 2015 को बेलौठा के उत्तर-पश्चिम में मैदानी भाग (टाल) है वहाँ एक लाश मिलने की बात आई। पहचान के लिए नरेंद्र शर्मा गये। प्रशासन भी आ गया था। शव की पहचान आरटीआई कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा के रूप में कई गई। मृतक के माथे (सिर) में गोली लगी थी। पूरे शरीर मे तार बंधा हुआ मिला। लग रहा था जैसे तेजाब डाला गया है।

पुलिस जांच

पुलिस ने सुरेन्द्र शर्मा की हत्या के संबंध में मसौड़ी पुलिस थाने में दिनांक 03.04.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201 व 34 के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 99/15) दर्ज करी थी। इस घटना में स्थानीय स्थानीय मुखिया नसीमुद्दीन, पैक्स अध्यक्ष विजय शर्मा, गैस एजेंसी का मालिक सर्वेश यादव आदि का नाम आया। किसी को जेल तक नही हुई। उक्त नाम तत्कालीन अनुमंडल पुलिस अधिकारी डी अमरकेश द्वारा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहां स्थित कॉलेज पर छापेमारी में सामने आया। आइपीएस डी अमरकेश वहाँ ट्रेनिंग के लिए आये थे। और यह केस उन्हें ही सौंपा गया था। उन्होंने अपने छापेमारी में वहां के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। उस व्यक्ति ने 7 लोगों के नाम सामने लाये। जिसके बाद सर्बेश यादव के फोन का सीडीआर भी निकाला गया। पर बाद में विजय शर्मा और नसीमुद्दीन ने पुलिस अधीक्षक पर स्थानीय विधायिका का राजनीतिक दवाव बनाकर केस को सुपरविजन के लिए कहा और वहां से इनलोगों ने अपना नाम हटवा लिया।

कोर्ट सुनवाई की वर्तमान स्थिति का कालानुक्रमिक संक्षिप्त विवरण

सुरेन्द्र शर्म के भाई नरेंद्र शर्मा ने नताय की उन्होंने जिला न्यायालय स्तर तक संघर्ष करके आरोपियों को जमानत नहीं पाने दी पर उसके बाद उच्च न्यायालय स्तर पर जाकर संघर्ष करने के लिए वे आर्थिक रूप से असक्षम थे इसलिए वो वहाँ हार गए और आरोपियों को बिल मिल गई।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

इस बीच सुरेंद्र शर्मा के घर पर किसी अज्ञात द्वारा एक जान से मारने की धमकी भरा पर्चा साट दिया, जिसमे लिखा था "नरेंद्र जी केस वापस ले लो नही तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सब परिवार को मार दिए जाओगे ~ एस आई एजेन्ट।" छापेमारी के बाद डी अमरकेश सर्वेश यादव के घर पर कुर्की जप्ती के लिए भी पहुंच गए थे पर वहां से भी उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण वापस आना पड़ा।

इस घटना की सबसे दुखद और निंदनीय पहलू यह है कि इसमे किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस नही कर सकी। नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि उनका पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने कई बार सूचना आयोग को भी पत्र लिखे पर वहाँ से भी प्रतिउत्तर निराशाजनक ही रहा।

वाल्मिकी यादव व धर्मेन्द्र यादव

व्यक्तियों की पृष्ठभूमि

वाल्मीकि यादव और धर्मेन्द्र यादव बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के एक ही गाँव बिछवे के निवासी थे। वाल्मीकि यादव ने इन्टर तक की और धर्मेन्द्र यादव ने मेट्रिक तक की पढ़ाई की थी। वाल्मीकि पेशे से एक किसान थे और जमुई स्थित अपने घर में अपनी माता-पिता, पत्नी और 16 वर्षीय बेटे के साथ रखते हैं। धर्मेन्द्र भी पेशे से एक किसान थे और जमुई स्थित अपने घर में अपनी माता-पित, पत्नी और तीन बेटियों के साथ रखते हैं। वाल्मीकि यादव ने लघु सिचाई विभाग द्वारा उनके गाँव में चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मांगी, जानकारी में प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ गड़बड़ियाँ पाई गईं और इसकी वजह से उस योजना पर दोबारा से काम किया गया। इस पूरी कार्यवाही से गाँव के लोगों को गेहूँ की खेती में बहुत फायदा हुआ। गाँव के लोग वाल्मीकि यादव के आरटीआई के इस्तेमाल से बहुत प्रभावित हुए और उनको एक सम्मान राशि देने का प्रस्ताव रखा अपर वाल्मीकि यादव ने इस सम्मान राशि को विनम्रता पूर्वक मन कर दिया और इसके बाद से ही उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से आरटीआई के माध्यम से पंचायत स्तर की सरकारी योजनाओं की जानकारी मांगना चालू कर दिया।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

वाल्मीकि यादव अपनी हत्या के एक साल पहले से स्थानीय योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार को आर.टी.आई के जरिये उजागर कर रहे थे। उनके द्वारा किये गए कुछ शिकायतों और आर.टी.आई आवेदनों का सम्पूर्ण विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलिप्त है जिससे स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि यादव पंचायत के तमाम योजनों की करीब से निगरानी कर रहे थे और गड़बड़ी की आशंका पर अधिकारियों को लगातार पत्र लिख रहे थे, सूचना का अधिकार कानून का इस्तमाल कर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उल्लेखनीय है की वाल्मीकि यादव द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ किये जा रहे कार्यों को गाँव की आम जनता का समर्थन प्राप्त था। लोक शिकायत के आवेदनों में दर्जनों हस्ताक्षर से भी यह बात प्रमाणित होती है। वाल्मीकि यादव न केवल भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे और सूचना के अधिकार से उन्हें प्रकाश में लाते थे बल्कि अपने पंचायत के लिए सड़क, पानी, और विकास के कार्यों को लेकर प्रयास किया करते थे। सांसदों-विधायकों को भी समय-समय पत्र लिखकर उन्होंने पंचायत की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वाल्मीकि यादव अपने पंचायत में हो रहे गड़बड़ी की जाँच के लिए सम्बंधित विभाग को पत्र लिखा करते थे।

इनके सक्रिय पहल से गबन, अवैध निकासी, सरकारी कामों में अनियमितता, पंचायती राज के प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार समेत कई मामले प्रकाश में आया और कुछ में कार्यवाई भी हुई| इनके अथक प्रयास के चलते निम्न जांच उप विकास आयुक्त, जमुई द्वारा बैठाई गयी:

- मनरेगा योजना के भ्रष्टाचार पर दो बार जांच बैठाई गयी. (सन्दर्भ पत्रांक 2084 दिनांक 15.11.2017 और पत्रांक 2343)
- ग्रामीण विकास जमुई ने पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 में हुए सभी मनरेगा योजना की जांच हेतु जिला स्तर की टीम गठित की. (सन्दर्भ पत्रांक 2017 दिनांक 04.11.2017)
- प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर बिछवे पंचायत में पंचम वित्त योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों की जाँच की मांग की थी। जांच नही होने पर उन्होंने आर.टी.आई. का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायत पर क्या कार्यवाई की गयी इस जानकारी की मांग की। जब उन्हें फिर भी जानकारी नही दी गयी तब उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के पास प्रथम अपील किया। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रभारी कृषि पदाधिकारी से जांच करायी गयी। जांच में यह यह बात आई की स्थानीय मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा भ्रष्टाचार (सरकारी पैसे का दुरुपयोग) किया गया।

- एक अन्य मामले में उन्होंने सुरेश महतो जो जद(यू) प्रखंड अध्यक्ष हैं, के खिलाफ पंचायत भवन के अतिक्रमण की शिकायत की थी।
- उन्होंने वर्तमान मुखिया कृष्णदेव रविदास द्वारा आम गैरमजरुआ जमीन के अतिक्रमण को लेकर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की थी और शौचालय एवं मनारेगा योजना में हो रही धांधली के बारे में भी पत्राचार, आर.टी.आई एवं शिकायत की थी। वाल्मीकि यादव ने प्रखंड स्तर के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखा।
- आगनबाडी सेविका की बहाली के प्रकरण: वाल्मीकि यादव द्वारा आंगनबाड़ी सेविका रजनी कुमारी की अवैध नियुक्ति के मामले को उजागर किया गया था। लोगों ने अनुसार रजनी कुमारी के पति अवधेश यादव बिचौलिया का काम करते हैं और उनका मुखिया कृष्णदेव रविदास से दोस्ताना सम्बन्ध है। अवधेश यादव ने फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर अपनी पत्नी रजनी कुमारी को आंगनबाड़ी सेविका पर नियुक्त कराया था। लोगों ने यह भी बताया कि अवधेश यादव ने 1.5 लाख रूपये घूस देकर अपनी पत्नी रजनी कुमारी की नियुक्ति आगनबाडी सेविका के रूप में कराया था और इस बात से बहुत नाराज था कि वाल्मीकि यादव द्वारा नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। लोगों के अनुसार हत्या का तात्कालिक कारण वाल्मीकि यादव द्वारा आंगनबाड़ी सेविका रजनी कुमारी की अवैध नियुक्ति के मामले को उजागर करना था और चूंकि इस पद के लिए मृतक धर्मेन्द्र यादव की पत्नी रेनू कुमारी ने भी आवेदन दिया था इसलिए धर्मेन्द्र यादव भी इस मामले में वाल्मीकि यादव का साथ दे रहे थे और इसी वजह से धर्मेन्द्र यादव की भी हत्या हुई।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

वाल्मीकि यादव को अपनी सक्रियता के चलते स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों द्वारा मारने की धमकी भी मिली थी, जिसकी शिकायत उन्होंने 24 मार्च 2018 को जमुई के आरक्षी अधीक्षक और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर की थी| इस पत्र में उन्होंने मुखिया कृष्णदेव दास और पंचायत सचिव के खिलाफ आरोप लगाया है कि वह उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। धर्मेन्द्र यादव के पिता सुरेश यादव से पता चला कि हत्या से करीब महीने भर पहले वाल्मीकि यादव के पिता साधू यादव को श्री यादव ने चेतावनी देते हुए कहा की अपने बेटे की खैर चाहते हो तो उसे ये सब काम बंद करने के लिए कहो जिसकी पुष्टि साधू यादव ने भी की।

हत्या

वाल्मीकि यादव एवं उनके सहयोगी धर्मेन्द्र यादव की हत्या बिहार के जमुई जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सिकंदरा प्रखंड के बिछवे पंचायत में 01.07.2018 की शाम को की गयी। वाल्मीकि यादव द्वारा दायर किये गए शिकायत पत्र एवं आर.टी.आई के अवलोकन और दोनों मृतकों के परिवार और गाँव वालों से बातचीत के आधार पर निम्न चित्र उभर कर सामने आता है कि हत्या के रोज़ वाल्मीकि यादव और धर्मेन्द्र यादव धान का बिचड़ा लाने सिकंदरा गये थे। बोरी लेकर लौटते वक़्त गाँव के नजदीक हमलावरों ने उनके मोटर साइकिल को रोका और लोहे की रड से वाल्मीकि यादव के सर पर हमला किया गया| दोनों को घसीटकर गाड़ी से नीचे उतार अलग-अलग पिस्तौल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी| परिवार वालों का कहना है कि हत्या की घटना पूर्व नियोजित थी। उनकी मोटर साइकिल को रोकने के लिए सड़क पर दो अस्थायी रोड ब्रेकर बनाये गये थे| हत्या के बाद ब्रेकर को हटा दिया गया।

एफ.आई.आर के मुताबिक, वाल्मीकि यादव 01 जुलाई की शाम 6 बजे जब सिकंदरा बाज़ार से मोटर साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। गाँव के नजदीक विनोद महतो के घर से करीब 100 गज उतर सड़क पर पहले से घात लगाये हमलावरों ने उनकी मोटर साइकिल को रोका। इसके बाद बिछवे पंचायत के मुखिया कृष्णदेव रविदास ने लोहे के रौड़ से वाल्मीकि यादव के कनपट्टी पर हत्या की नियत से वार किया। इसके बाद गाड़ी चला रहे वाल्मीकि यादव एवं उनके साथ बैठे धर्मेन्द्र यादव असंतुलित होकर मोटर साइकिल सहित जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें अवैध पिस्तौल से गोली मार दी गयी जिससे उनकी मौत हो गयी। एफ.आई.आर के मुताबिक सुरेश महतो भी हमलावरों की टोली में शमिल थे, इन्होंने कहा कि- “साले को गोली मारो दो, बहुत बड़ा कागज़ी आदमी है. जिन्दा रहने पर हमलोगों को चैन से जीने नही देगा.” एफ.आई.आर के अनुसार विनोद महतो ने वाल्मीकि यादव पर गोली चलायी, जबकि अवधेश यादव ने धर्मेन्द्र यादव की हत्या को अंजाम दिया। मौके पर दोनों की मौत हो गयी। इसके बावजूद उनके शरीर को पत्थर से मार-मार कर कुचला गया| इनके दम तोड़ देने के बाद सभी लोग गली-गलौज और धमकी देते हुए गाँव की तरफ भागे।

पुलिस जांच

इस बाबत जमुई के सिकंदरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसकी संख्या 152/18 तारीख 01.07.2018 है। एफ.आई.आर के मुताबिक बिछवे पंचायत में विभिन्न योजनाओं में भारी गड़बड़ी एवं अनियमितता बरती जा रही थी और आंगनवाडी सेविका की बहाली भी अवैध तरीके से की गयी थी। वाल्मीकि यादव इन गड़बड़ियों पर सवाल उठा कर गड़बड़ी करने में व्यवधान पैदा कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया।

एफ.आई.आर वाल्मीकि यादव के चाचा सरयुग यादव द्वारा पुलिस को दिए गये बयान पर आधारित है। एफ.आई.आर में निम्न लोगों को अभियुक्त बनाया गया है- विनोद महतो पिता नंदकिशोर महतो,अवधेश यादव पिता श्री यादव, कृष्णदेव रविदास पिता प्रसादी दास ,पंकज रविदास पिता कृष्णदेव रविदास, नीरज रविदास पिता कृष्णदेव रविदास, नरेश यादव पिता फकीरचंद यादव, श्री यादव पिता बुंदी यादव, सुरेश महतो पिता केवल महतो और श्रवन महतो पिता नंदकिशोर महतो।

प्राथमिकी में नौ नामित अभियुक्तों में शामिल सुरेश महतो को पुलिस ने घटना की रात को ही बिछवे गाँव से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुखिया कृष्णदेव रविदास समेत चार अन्य नामजद अभियुक्तों ने हत्या के एक माह के अंदर सरेंडर कर दिया था। दो नामजद अभियुक्तों ने हत्या के छै महिने के अंदर खुद को सरेन्डर कर दिया था। नवें नामजद अभियुक्त, अवधेश यादव को पुलिस ने हत्या के दो साल पकड़ लिया था।

इसके अलावा, वाल्मीकि और धर्मेन्द्र यादव की हत्या की घटना के तुरंत बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल करने के बाद जांच दल के सदस्य आशीष रंजन ने जमुई के जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार से फ़ोन पर बातचीत की थी। जिलाधिकारी की अनुपलब्धता में उनके कार्यालय में दो मांगों- (1) पंचायत का विशेष सामजिक अंकेक्षण कराया जाए और भ्रष्टाचारियों को सजा मिले (2) मृतकों के परिवार को दस लाख रूपये का मुआवजा दिया जाए को रखते हुए आवेदन दिया था। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार से बातचीत साकारात्मक रही जिसमे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वे एक सप्ताह के अन्दर वह सामजिक अंकेक्षण कराने हेतु सामाजिक अंकेक्षण डायरेक्टरेट को पत्र लिखेंगे।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

सभी नौ आरोपी अभी जेल में हैं और जमुई सेशन कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है जिसमें अभी तक सभी गवाहों की गवाही समाप्त हो गई है और दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के धारा 313 के तहत भी बयान दर्ज हो गया है।

वाल्मीकि यादव द्वारा आरटीआई और जन शिकायत कानून के माध्यम से मांगी गयी सूचनाएं और लोक शिकायतों का विवरण निम्न है:

- 29.06.18 को मरेगा योजना में बिना काम कराये रुपया निकालने के प्रयास के सम्बन्ध में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सिकंदरा को आवेदन देकर शिकायत
- 23.06.2018 को जिला पदाधिकारी, जमुई को पत्र लिखकर शिकायत कि 39 आदमी के शौचालय का रुपया (जिनमे कुछ आदमी मृत भी हैं) फर्जी तरीके से निकाल लिया गया
- 14.06.18 को वर्तमान मुखिया द्वारा आम गैरमजरुआ जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायत.
- 03.05.18 को वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा में अवैध निकासी के खिलाफ गाँव के लोगों द्वारा जिला पदाधिकारी से शिकायत.इसमें जद(यु) प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ राजनीतिक दवाब कर गलत काम कराने का भी उल्लेख है |
- 03.05.18 को को जिला पदाधिकारी को पत्र लिख शिकायत की कि बिछवे गाँव में सामुदायिक भवन को गाँव के ही प्रखंड जेडी(यू) अध्यक्ष श्री सुरेश महतो ने अतिक्रमण कर लिया है.
- 28.04.18 को विछवे पंचायत में वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक ही योजना का दो नाम से बिना काम कराये 8 लाख 90 हज़ार निकलकर गबन के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिकायत
- 04.04.18 को प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकंदरा द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अनुमंडल पदाधिकारी से पत्र लिख कर शिकायत
- 02.04.2018 सिकंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी को शिकायत

- 21.03.18 को आर.टी आई : ग्राम पंचायत विछवे में पंचायत भवन निर्माण कार्य में बिना काम कराये राशि निकालने की शिकायत जांच कृषि पदाधिकारी सिकंदरा से की गयी थी उस जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाई हुई इस आशय की सूचना की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से की. और सूचना नही मिलने पर प्रथम अपील भी किया. जिसके बाद उन्हें सूचना उपलब्ध करायी गयी.
- 16.01.18 को विछवे पंचायत के विछवे गाँव, वार्ड 4 में वार्ड सभा की बैठक कराये बिना वार्ड प्रबंधन सचिव के चयन के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिकायत
- 16.01.2018 को ग्राम पंचायत बिछवे में पंचम राज्य वित्त योजना के अंतर्गत बिना प्राक्कलन बिना अभिलेख और बिना काम कराये इस योजना से एक लाक सात हज़ार निकलने के सम्बन्ध में शिकायत।
- 02.01.2018 को प्रखंड विकास पदाधिकारी से नरेगा में बिना काम कराये भ्रष्टाचार की शिकायत।
- 06.12.17 को 14 वें वित्त का योजना संख्या 2/17-18 की सम्पूर्ण अभिलेख की छायाप्रति पंचायत सचिव से आर.टी.आई के तहत माँगा गया था, नही मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकंदरा के समक्ष प्रथम अपील, उसके बाद 16 फरवरी 2018 को सूचना आयोग में द्वितीय अपील।
- 06.12.17 को जिलाधिकारी जमुई से आर.टी.आई द्वारा जानकारी मांगी की जिला पदाधिकारी ने उनके द्वारा 16.09.2017 और को दिए गये शिकायत पर क्या किया।
- 16.09.2017 को मुख्यमंत्री बिहार को पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पत्र लिखा।
- 08.09.17 को जिला पदाधिकारी, जमुई को शिकायत की गयी की बिछवे पंचायत में छोटकी जाजल में विद्यालय के बगल में दो वर्ष पूर्व एक छोटा पुलिया का निर्माण हुआ था. और उसी पुलिया को वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना के तहत अभिलेख तैयार कर राशि निकालने का प्रयास किया गया था. और सभी योजना का एस्टीमेट बढाकर बनाया गया था।
- 28.07.2017 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकंदरा से आर.टी.आई के तहत सूचना मांगी की वित्तीय वर्ष 16-17 और 17 -18 के 13 और 14 वित्त आयोग में कितनी राशि आई और कितना खर्च हुआ. एवं कबीर अंत्येष्ठी योजना में कितना आया और कितना दिया गया।

- 06.07.17 को पंचायत रोजगार सेवक से वित्तीय वर्ष 17-18 के मनरेगा योजना 1 सौदागर यादव के घर से रामावतार पंडित के घर तक इट सोलिंग एवं पी.सी.सी कार्य 2 रामावतार पंडित के घर से पूना मांझी के घर तक इट सोलिंग एवं पी.सी.सी 3. भरधरा के तालाब में सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण करना 4. छोटकी जाजल के विद्यालय के बगल में पुल निर्माण कार्य के सम्पूर्ण अभिलेख की छाया प्रति आर.टी.आई से मांगी. सूचना नही मिलने पर प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी से अपील किया. और वहां से भी सूचना नही मिलने पर सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील.

राजेंद्र सिंह

व्यक्ति की पृष्ठभूमि

राजेन्द्र सिंह मोतीहारी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के राजपुर मंगलापुर के निवासी थे। राजेन्द्र सिंह ने मोटीजरी से B.Sc. तक की पढ़ाई पूरी की थी। उनका और उनके छोटे भाई सत्येन्द्र सिंह का परिवार एक साथ एक संयुक्त परिवार से मोतिहारी स्थित अपने घर में रहता था। उनके परिवार में उनके साथ उनकी पत्नी और चार बेटियाँ थी व उनके छोटे भाई के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। राजेन्द्र जी का परिवार एक समृद्ध परिवार हुआ करता था, उनका खेती-किसानी के सामन से जुड़ा व्यवसाय था व उनके पास एक मिनी डीजल पम्प का लाइसेन्स भी था। सूचना के अधिकार कानून की तरफ उनका रुझान 2011 में दिल्ली में हुए जनलोकपाल आंदोलन की वजह से हुआ। इसके प्रेपरित हो कर वह आरटीआई कानून और शिकायत निवारण कानून का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहते थे।

उनके उल्लेखनीय आरटीआई हस्तक्षेपों का विवरण

राजेंद्र सिंह ईमानदारी और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार के मामलों को प्रकाश में लाया, बल्कि पूरी लगन से उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की ताकि दोषियों को जवाबदेह बनाया जा सके। इसका कारण यह था कि उन पर प्रभावशाली लोगों के साथ समझौता करने का जबरदस्त दबाव था, जिनके भ्रष्ट कृत्यों का उन्होंने खुलासा किया था।

उनके उठाए गए भ्रष्टाचार के मामलों में चल रहे कोर्ट केस संख्या 103/16 और 62/14 में वह जल्द ही एक अंतिम निर्णय से उम्मीद कर रहे थे कि वो अंततः दोषियों को पकड़ लेगा पर उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। राजेन्द्रजी के द्वारा RTI से मांगी गयी कुछ सूचनाएँ और उनका असर इस प्रकार है:

1) संग्रामपुर थाना ने शीशम की लकड़ी और 3 क्विंटल गांजा पकड़ा था। उनकी स्तिथि क्या है?

2) सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट चिमनी और आरा मशीन चल रहा था। उन जमीनों को खाली करने और जीतने दिन से चिमनी और आरा मशीन चल रहा है उसका सरकार को किराया वसूलने के लिए कोर्ट में केस किये थे।

3) सुभाष यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव मुखिया रहते हुए फर्जी डिग्री पर अपने साले और अन्य कुछ लोगों को शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। राजेन्द्र सिंह के पहल पर उन भी शिक्षकों को इस्तीफा देना पड़ा और BEO संग्रामपुर को जेल जाना पड़ा।

4) स्थानीय डीलर कई लोगों का फर्जी राशन कार्ड बना कर राशन का गबन कर रहा था। जिसकी शिकायत सचिव खाद्य एवं उपभोगता संरक्षण विभाग तक की थी।

5) वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उजागर किया था। कुछ लोग के नाम अलग-अलग पंचायतों के वोटरलिस्ट में शामिल थे।

इन सब के अलावा कई और मामले जैसे आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन का राशन गबन की बात हो, मुखिया द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात हो अथवा किसी के केस की पैरवी हो वो सबकी मदद किया करते थे। परिवार के लोगों का कहना है कि कई बार उन्हें स्थानीय लोगों और संग्रामपुर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमों में भी फंस देती थी। मगर वे जहां भी जाते थे वहाँ किस तारीख को गए किसके साथ गए कितना समय रहे आदि का साक्ष्य जरूर रखते थे। इस कारण से उनकी जमानत हो जाती थी। वर्तमान डीएसपी अरेराज, जो हत्या की जांच कर रही एसआईटी टीम के सदस्य हैं, ने एक इंस्पेक्टर के रूप में राजेंद्र सिंह को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया था, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने आरटीआई के माध्यम से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया था। इस मामले में राजेंद्र सिंह को अन्यायपूर्ण ढंग से तीन दिन जेल में रखने के बाद जमानत मिल गई थी।

धमकी और सुरक्षा के लिए अनुरोध

बेटी लावली और ममता सिंह ने बताया कि उन्हे अपनी हत्या का अनुमान हो गया था। यह उनकी हत्या का चौथा प्रया था। पूर्व में उनपर पहली बार चाकू से हमला, दूसरी बार जीप से हमला, तीसरी बार भाई सत्येन्द्र सिंह ने कुल्हाड़ी से और आखखरी बार अज्ञात लोगों ने बंदूक से हमला कर उनकी जान ले ली। पूर्व में हुए हमले के मामले में आज तक किसी दोषी को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) 09.10.2017 पत्र लिख इसकी सूचना दी कि मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। मगर पुलिस ने कभी मामले को गंभीरता से नहीं लिया (चिट्ठी की कॉपी संलग्न है)। कम से कम दो बार उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे मार दिया जाएगा (संलग्न रिपोर्ट में विवरण)। परिवार के लोगों ने उनकी निजी डायरी दिखाई जिस में 28 मार्च को उन्होंने लिखा था- “जिला परिषद सदस्य इम्तियाज़ खान द्वारा फोन कर बताया गया कि सत्येन्द्र सिंह एवं अजय सिंह द्वारा पिकअप से या अन्य तरीके से राजेन्द्र प्रसाद सिंह की हत्या की जाएगी (डायरी की प्रति संलग्न है)। 30 मार्च को स्थानीय भगवान फोटो स्टेट दुकान से फेस्बूक से इनकी कई फोटो निकली गई थी। यह जानकारी भोला सिंह, जलदह द्वारा दी गई थी। हालांकि थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि जाँच के बाद करने की बात कही है साथ ही कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। यह बात उनकी निजी डायरी में दर्ज है।

इसके अलावा परिवार वालों के मुताबिक दिनांक 08.06.2018 को सुबह जब राजेन्द्र जी घर में नही थे उस समय उनका भाई सत्येन्द्र सिंह और राजेन्द्र जी के घर आये और बहुत सारी फाईल उठा कर ले जाने लगे। पत्नी के विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के दूसरे दरवाजे से वे कई महत्वपूर्ण फ़ाइलों को लेकर गाली गलौज करते हुए निकाल गए। राजेन्द्र जी की पत्नी का कहना है कि उन फाइलों में लोकशिकायत, RTI और कोर्ट में चल रहे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ थे। इस घटना के आलोक में राजेन्द्र जी FIR कराने संग्रामपुर थाने गए मगर दरोगा ने FIR नही दर्ज की बल्कि उनसे सुलह करने को कहने लगे। इस घटना के आलोक में राजेन्द्र जी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) को 15.06.2018 को एक चिट्ठी लिखी गयी थी पर वो इसे पोस्ट नहीं कर सके। परिवार वालों का कहना है की इस चिट्ठी में लिखी बात हत्या के पीछे का कारण हो सकती है।

हत्या

19.06.2018 को दिन दहाड़े एक जुझारू RTI कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह की हत्या कर दी गयी। हत्या की यह घटना पूर्वी चंपारण किला के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के मठबनवारी चौक के नजदीक NH28 पर हुई। हत्या के एक दिन पूर्व दिनांक 18 जून 2018 (सोमवार) को पूर्व सरपंच राकेश सिंह के बेटे के तिलक में शामिल होने वे मोतिहारी गए थे। उस दिन मोतिहारी कोर्ट में एक केस की तारीख भी थी। अगले दिन 19 जून 2018 को भी एक केस की तारीख थी, जिसके लिए वे मोरिहारी रुक गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि चश्मदीदों के मुताबिक एक बाईक पर दो लोग पीछा करते हुए आए और गाड़ी ओवरटेक कर के उनपर अंधाधुंध फ़ाइरिंग कर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस जांच

इस घटना के बाद राजेन्द्र सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने उनकी हत्या के संबंध में संग्रामपुर पुलिस थाने में दिनांक 19.06.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी), 34 व आर्म्स ऐक्ट की धारा 27A के अंतर्गत प्राथमिकी (केस संख्या- 110/18) दर्ज कारवाई। परिवार ने शक के आधार पर पंचायत बरियरिया टोला, राजापुर के पूर्व मुखिया सुभाष यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव, देवर सत्येन्द्र सिंह, भतीजा सुधांशु कुमार, अजय कुमार सिंह एवं प्रमोद कुमार सिंह सहित पांच छः अज्ञात लोगों को प्राथमिकी में नामजद आरोपी बनवाया था क्योंकि इन नामजद लोगों की राजेन्द्र सिंह के साथ पिछले कई वर्षों से दुश्मनी चल रही थी। साल 2018 में पुलिस ने अपनी कार्यवाही में नितेश राणा और भंवर सिंह नाम के दो गैर नामजद शूटर्स एक नामजद अभियुक्त प्रमोद सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया और फिर इसी साल में मिश्राग्राम के पूर्व मुखिया सुभाष यादव और सत्येन्द्र यादव ने सरेन्डर कर दिया।

कोर्ट सुनवाई की स्थिति का संक्षिप्त कालानुक्रमिक विवरण

अजय सिंह उर्फ मुल्लू सिंह, सुधांशु कुमार सिंह व मुख्य साजिशकर्ता नागमणि सिंह (शूटर को काम पर रखा और उन्हें पंच भवन में रहने के लिए मिला), को पटना उच्च न्यायलय से अग्रिम जमानत मिली। नागमणि सिंह बरवा पंचायत (राजपुर गांव की मिश्रग्राम पंचायत से लगी हुई पंचायत) के पूर्व मुखिया हैं और उनकी पत्नी हत्या के समय बरवा पंचायत की मुखिया थीं। हत्या के 2-3 महीने के भीतर जमानत मिल गई। पुलिस के पास उसके खिलाफ कई सबूत हैं। अभी इस केस में कोई भी अभियुक्त जेल में नहीं है, सब जमानत पर बाहर हैं।

हत्या और मुकदमे के परिणाम

राजेन्द्र जी के दामाद राजेश रंजन ने बताया कि अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह (राजेन्द्र सिंह के छोटे भाई) ने अब राजेन्द्र सिंह की सारी जमीन व संपत्ति कब्जा ली है और इसकी वजह से राजेन्द्र सिंह की पत्नी के पास अब अपनी कोई जगह नहीं बची है। सत्येन्द्र सिंह अभी भी समय-समय पर राजेन्द्र सिंह की पत्नी व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बदतमीजी करते रहते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।

बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित जन सुनवाई में शामिल हुए विभिन्न हितधारकों ने अपने विचार सभी के साथ साँझा किए थे, उनको में से कुछ महत्वपूर्ण हितधारकों के विचारों को इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

बिहार के जिन सूचना का अधिकार (आरटीआई) उपयोगकर्ताओं/ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनके परिजनों के विचार:

बिहार में अभी तक 20 सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, इस रिपोर्ट में उनमें से 18 कार्यकर्ताओं के केस का विस्तृत ब्योरा मौजूद है, जनसुनवाई में 18 में से 15 कार्यकर्ताओं के परिजनों ने भागेदरी की, उन सभी ने जनसुनवाई में जो बातें सभी के सामने रखी उनमें से जो समान और स्थूल बातें निकल कर आई हैं उन्हें यहाँ संक्षिप्त रूप से रखा जा रहा है:

सभी परिजनों ने एक-एक करके अपनी व अपने पीड़ित परिवार की पूरी आपबीती जनसुनवाई में उपस्थित ज्यूरी सदस्यों व बाकी सदस्यों के सामने राखी।

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने ये भी बताया कि अपराधियों द्वारा कई बार मौत की धमकियों का सामना करने के बाद भी, अधिकांश मारे गए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना का पीछा करना और भ्रष्टाचार को उजागर करना बंद नहीं किया था।

हत्या किए गए सूचना के अधिकार उपयोगकर्ताओं को याद करते हुए जनसुनवाई में आए उनके परिजनों ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल पूछे।

परिजनों का मानना है कि यह सभी प्रयास आरटीआई अधिनियम को मारने के लिए जानबूझकर किये जा रहे है जिससे लोग इन हत्याओं और उसके बाद उनके परिजनों के किए गए उत्पीड़न से डर कर जानकारी व न्याय मांगना ही बंद कर दें।

बिहार सूचना आयोग के सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण जी द्वारा जन सुनवाई के दौरान रखे गए मुख्य विचार:

“अब देखिए, मैं एक बात बहुत इंफोसिस देकर कहना चाहूंगा कि आरटीआई के माध्यम से जो भी सूचना है जिस सूचना के आधार पर आप आगे और कार्यवाही कर सकते हैं वो बहुत सही है और उसको मानना चाहिए आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण इन्सट्रूमेंट है आपके हाथ में किसी भी करप्शन और इस तरीके के घोटाले के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए।”

“जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, खासकर ये आरटीआई ऐक्टिविस्ट की हत्या जैसा तो हमारे यहाँ तो इतना बड़ा राजनीतिक फोरम है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला हुआ है, जनता के दरबार में मैं घूमता रहा हूँ, वो वहाँ सामने से बोलते है कि कार्रवाई कीजिए, इसलिए आप उसका भी इस्तेमाल कीजिये।”

“ऐसे मुद्दों को कई सारे फोरम पे उठा के टैकल करने की जरूरत है। एक फोरम आपका अखबार भी है, अगर अखबार के भी कुछ लोग आपके साथ हों तो उससे भी बहुत बहुत मदद मिलती है। इसी तरह से हर फोरम को आपको देखना होगा, जैसे ये FIR नहीं दर्ज करने की बात है, अगर आपका थानेदार आपका केस नहीं ले रहा है तो कमप्लेन केस बड़ा ईफेक्टिव तरीका है अपना केस दर्ज कराने के लिए।”

“अगर राजस्व विभाग में कुछ गलत काम किया गया है तो पहला काम है की उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, अगर वो नहीं देते तो आप सब जानते हैं उससे आगे क्या करना है और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है तो आप कैसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपके काम का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा होगा। बाकी आप जब भी आएंगे तो आपसे विमर्श करने के लिए और आपसे सलाह लेने के लिए तैयार हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से वो करने के लिए तैयार हैं और सिस्टम में चेंज करने की जरूरत है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और आप लोगों को सलाह का स्वागत करेंगे।”

सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (NCPRI) की संयोजक अंजली भारद्वाज ने त्रिपुरारी शरण जी की उपस्तिथि में बिहार सूचना आयोग में हुई उनकी मीटिंग में लिए गए मुख्य मुद्दों व फैसलों को सभी के साथ साँझा किया:

- **पहला मुद्दा** है कि सूचना के अधिकार कानून की धारा चार के तहत सूचनाएँ खुद-ब-खुद लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारी मांग है कि केंद्र सूचना आयोग ने 3 साल पहले उन सभी प्राधिकरणों का, जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनका एक ऑडिट कराया था कि वो कैसा काम कर रहे हैं और धारा चार के तहत वो सही से सूचना दे रहे हैं या नहीं और हमारी ये मांग है कि बिहार सूचना आयोग एक ऑडिट कराये जिससे वो दबाव भी बनाएँ और ऐक्शन भी ले उन सभी पब्लिक अथॉरिटीज पर जो धारा चार के तहत सही से सूचना नहीं दे रहे हैं, जिसकी बात अभी हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से आई है।

- **दूसरा मुद्दा** है कि आज जो जनसुनवाई छ्आल रही है इसकी रिपोर्ट और बिहार में जिन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उन सभी केस स्टडीज़ को बिहार सूचना आयोग की वेबसाइट पे डाला जाए क्योंकि बिहार सूचना आयोग को ये बोलना होगा कि इस तरह से लोग सूचना मांग रहे हैं और उनके ऊपर ऐसा प्रहार हो रहा है।

- **तीसरा मुद्दा** है कि कम से कम पिछले 1 साल में जिन पांच आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के केस हुए हैं, उसकी एक कम्प्लेंट बनाकर सूचना आयोग में डाल दी जाए जिससे यह उन सारी सूचनाओं को पब्लिक तरीके से मुहैया कराए। जो सारे प्रहार होते हैं, हमले होते हैं, हत्याएं होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि सूचना दबाई जाने की कोशिश है। अगर जो प्रहार करते हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि हम प्रहार करेंगे तो ये सारी सूचना सबके सामने आएगी, सार्वजनिक होगी तब ऊपर एक असर होगा।

इन मुद्दों के माध्ययम से हमें सूचना आयोग को भी जवाबदेह बनाना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि सूचना आयोग अपना दायित्व निभाए।

जन सुनवाई में राजनीतिक पार्टियों के आमंत्रित प्रतिनिधियों ने राजनेतिक पार्टी वाले सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सभी सदस्यों के सामने अपने विचार रखे।

1. राष्ट्रीय जनता दल के नेता व राज्य सभा सांसद मनोज झा जी के मुख्य विचार:

“व्हिसिलब्लोअर प्रोटैक्शन ऐक्ट का क्या हुआ, वह ऐक्ट कहाँ है, उसकी कार्यशैली क्या है किसी को नहीं मालूम है और अब तो मैं यह देख रहा हूँ कि बीते आठ नौ वर्षों में सूचना के अधिकार के अंदर आप अवेदन फाइल कीजिए तो आपको बहुत ही स्टैन्डर्ड जवाब मिलेगा कि ये सूचना इस विभाग से संबंधित नहीं है, न जाने किससे संबंधित है। पीएम केयर फंड सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि आम आदमी का लगा पैसा और उसको अपने पैसे के खर्चे की कोई जानकारी नहीं है।”

“जब तक सच के अधिकार को हम दलीय दायरों से बाहर निकल के नहीं ले जाएंगे, तब तक सत्य के लिए आग्रह मैं समझता हूँ कि जिन परिवारों के चिराग बुझे हैं उनको पता चलता है कि सच के लिए उनके बच्चे, उनका बेटा, उनका भाई इस दुनिया से चला गया।”

“ये सभा हमारे लिए शोक सभा या श्रद्धांजलि सभा नहीं होनी चाहिए, ये सभा हमारे लिए एक तरह से संकल्प सभा हो जिसके माध्यम से हम तय करें की अगली कोई जान नहीं जाएगी। कुछ सुझाव मुझे बेहद अच्छे लगे जिसपे अरुणा जी से बात हो रही थी जैसे कोई व्यक्ति अगर मारा जा रहा है और उसके द्वारा मांगी गई सूचना अगर पोर्टल पे आ जाती है तो सूचना तो आ गई, मार कर भी सूचना को बंद नहीं कर सके आप। सूचना का अधिकार हमारा एक उपकरण हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ की हम सब लड़े और अपने लिए भी यही कहूंगा की पक्ष या विपक्ष आपको ऐसे लोग भी चिन्हित करने पड़ेंगे जो आपकी बात, आप के सरोकारो को, संसद और विधानसभा में उठाएँ।”

“4.25 साल में मैंने बहुत सारे सवाल आरटीआई से संबंधित, आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या से संबंधित हत्याओं के बारे में उठाए लेकिन छोटी पार्टी से हूँ इसलिए खबर नहीं बनती है, खबरों के बनने का तरीका भी अलग है इन दिनों। ज़ाहिर है कि अगर हम इस बेखबरी से निकल कर के एक बेहतर विकल्प तलाशें तो शायद बेहतर होगा।”

2. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्कसिस्ट) के नेता गणेश सिंह जी के मुख्य विचार:

“जो आपने 18 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की सूची दिखाया उससे ज्यादा जरूरी है कि इन सारे मुद्दों पर आप थोड़ा हठी बनिए। राजनीतिक मंच से ऊपर उठ के आरटीआई के दायरे को इन पाँच संगठनों की व्यापकता को कायम रखते हुए इस मंच में राज्य, आल इंडिया और जिला प्रशासनिक पदाधिकारी की हठधर्मिता के खिलाफ आप पूरी मजबूती के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल धरातल पर करेंगे तो ये आरटीआई के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।”

3. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेता व बिहार विधानसभा सदस्य शकील अहमद खान जी के मुख्य विचार:

“आज जो प्रयास यहाँ हुआ है उसको और जिलों में भी करना चाहिए। बिहार की विधानसभा में इस समय एक मजबूत विपक्ष है जो सत्ताधारी पार्टी से मात्र सात आठ विधायक कम है। सितंबर अंत तक बिहार विधानसभा का सत्र होना है, हम सब चाहेंगे की विधानसभा में इस विषय पर बहस हो।”

“इन केसेस के खिलाफ़ कोई ठोस प्रयास में हमने भी आवाज नहीं उठाई इस बात में कोई शक नहीं पर अब आपने जो हमें ये रिपोर्ट दी है तो इसके आधार पर अब हम कोशिश करेंगे कि पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम के स्तर पर हम कोई इंटरवेंशन करें ओर इन केसेस में इंसाफ दिला पाए और बिहार विधानसभा में भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आरटीआई से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठा पाए और आरटीआई के ताल्लुक से हम अपनी बात को बुलंद करें।”

4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (लिबरेशन) के नेता व बिहार विधानसभा सदस्य संदीप सौरव जी के मुख्य विचार:

“पॉलिटिक्स के भीतर मनी पावर मसल पावर को अंधाधुंद बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से एलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान किया गया आरटीआई से बाहर रख कर के और किस पोलिटिकल पार्टी को कौन कितना फन्डिंग दे रहा है इसको पूरी तरह से अपारदर्शी बना कर के मनी पावर के बदौलत राजनीति की परिभाषा न सिर्फ चुनाव की बल्कि दैनिक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है अलग अलग पार्टियों की, उसके पूरे देश डेफनिशन को चेंज करने का जो साजिश है हम देख रहें है कि हमें आज आरटीआई ऐक्ट को मजबूत करने के लिए

आरटीआई कार्यकर्ताओं पे हमलों को रोकने के लिए इस बड़ी साजिश को समझना और उसके भीतर अपनी भूमिका तलाश करना जरूरी हो चुका है।”

“मौजूदा सरकार को पारदर्शिता पसंद नहीं है, जवाबदेही पसंद नहीं है और शायद इसीलिए मौजूदा प्रधानमंत्री ने पांच सालों में आज तक कोई प्रेस कॉनफेरेंस नहीं किया। पीएम केयर फन्ड जब कोविड़ के समय लाया गया उसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया।”

“ऐसी कई सारी चीजे हो रही हैं जिसको सरकार घोषित नहीं भी कर रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब देखा जाए तो उसको आईटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया है और जो निचले लेवल पे करप्शन है जो निश्चित तौर से संस्थागत करप्शन को ढकने के लिए उसको डाईल्यूट करने के लिए नीचे से हवा दिया जा रहा है।”

“हम देख रहें है कि छोटी छोटी चीजों में भी सूचना का अधिकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस संबंध में साथियों ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें तो चौंकाने वाले तथ्य हैं। बिहार में आरटीआई ऐक्ट के तहत जो जानकारी मांगी गई उसमे उसका रेसपोनसीवनेस जो है 0% प्रोवाइडेड है। सूचना के अधिकार के तहत बिहार में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है इसलिए मामला काफी संगीन है और लोकतंत्र को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए और नागरिक को न सिर्फ एक वोटर के रूप में बल्कि लोकतंत्र में एक बराबरी की सहभागिता का सेन्स देने के के लिए इस तरह की जरूरत है।”

“इस संबंध में कमेटी की तरफ से यहाँ साथियों ने जो प्रस्ताव रखा मैं अपनी पार्टी सीपीआई लिबरैशन की तरफ से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि उस मांग को लेके सरकार की तरफ जाना होगा या इस तरह की संगोष्ठियों करके लोगों को जागरूक करना हो या विधानसभा के अंदर उस पर मजबूती से लड़ाई लड़नी हो हर मोर्चे पर हम इस बढ़िया काम में, ज़रूरी काम में हम आपके साथ है। बहुत-बहुत शुक्रिया!”

5. राष्ट्रीय जनता दल के नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक जी के मुख्य विचार:

“शकील भाई ने ठीक ही कहा कि आज विधानसभा में विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में है। विधानसभा में विपक्ष के जो नेता है वो भी नौजवान हैं, उनमें जज्बा है और संघर्ष करने का माद्दा है और जो हमारा गठबंधन है वो विधानसभा में दिसंबर में आने वाले शीतकालीन सत्र में इन सवालों को उठाने का काम करेगा।”

“मैं आरटीआई के बारे में विस्तृत रूप से जानता हूँ क्योंकि मैं मंत्री भी रहा हूँ और विधायक भी रहा हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ कि आरटीआई के अंदर किस तरीके से सूचना न देने के लिए भ्रमित कर के जवाब दिए जा रहे हैं। इसीलिए ठीक ही कहा हमारे मार्क्सवाद साथी ने की हटी बनना होगा हमारे आरटीआई के कार्यकर्ताओं को।”

“जिन लोगों की आरटीआई सूचना मांगने के कारण मौत हुई है उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत शोक है लेकिन हम उन सारे साथियों के परिवारों से कहना चाहते हैं कि आपको हमारी जब भी जरूरत हो हम 24 घंटा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। कहीं किसी तरह का व्यवधान हो, किसी तरह की परेशानी हो तो उसे हटाने के लिए जो भी है हमारी छमता है उसके आधार पे हम बिल्कुल साथ देंगे। मैंने नंबर मैंने अपना नंबर भी लोगों को दिया है। आप कभी भी हमसे कम्यूनिकेट कर सकते हैं।”

“डॉ. अम्बेडकर ने कहा था की हमने संविधान बना दिया पर प्रशासन तंत्र किस तरीके से संविधान का उपयोग करेगा यह लोगों पर निर्भर करेगा। इसी तरह सूचना का अधिकार कानून एक बहुत ही अच्छा कानून है पर आज जिस तरीके से शासन तंत्र इसको कमजोर करने पर लगा है ऐसी स्थिति में जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनको इसे बचाने के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करना होगा।”

जन सुनवाई की कार्यवाही पूरा होने के बाद ज्यूरी सदस्यों द्वारा सभी के सामने रखे गए मुख्य विचार:

1. वरिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता व मजदूर किसान शक्ति संगठन संस्थापक अरुणा रॉय जी के मुख्य विचार:

“मेरा सवाल पार्टी मेम्बर्स से है, जो केसेस हुए हैं उनमें से अगर शशीधर मिश्र का केस ले तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य थे, तो जब उनके किसी सदस्य की हत्या होती है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है और संघ की क्या भूमिका है? ये ठीक है कि वो आपके जुड़े हुए साथी है इसीलिए हम सब ये मुद्दा उठायेंगे पर चुकी वो एक पार्टी और संघ से जुड़े हुए साथी हैं इसीलिए उनकी भी एक भूमिका बनती है।”

“आपकी राज्य स्तर की इकाई बनेगी जिसमे आप सूचना मांगने वालों पर जो अत्याचार होता है उसके ऊपर आप एक पूरा कार्यक्रम बनाएंगे पर केंद्र में भी एक मीटिंग होना बहुत जरूरी है और राज्य से उठके जो मुद्दे आते हैं उनको किसी तरह से और आगे लेके जाने की जरूरत है, उसके विस्तार के लिए क्या जरूरत है और उसकी लौबीइंग के लिए क्या जरूरत है और आगे जाकर उसका एक मंच बनना चाहिए और अलग से भी एक मंच बन सकता है खासकर जो हिंसा वाले मुद्दे को उठाए। देश में बहुत हिंसा हो रही है, ये केवल हमारे सूचना के अधिकार के सिपाहियों और कार्यकर्ताओं पर ही नहीं हो रही है। हम अखबार खोलते हैं तो हिंसा और घ्राणा की खबर पहले दिखाई पड़ती है, फिर उसके बाद में बाकी की खबर आती हैं।”

“मैं सफर से और बिहार के बाकी सभी साथियों से चूंकि उन्होंने पहल की है और दिल्ली के सभी साथियों से भी एक विशेष निवेदन करना चाहती हूँ कि आप एक प्रोटोकॉल बनाएँ जिससे हमें ये पता चले की अगर किसी को धमकी मिलती है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, उनके पास एक सूची (लिस्ट) होनी चाहिए की धमकी मिलने के बाद उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे उनके ऊपर हमला न हो या उनकी हत्या न हो।”

“किसी ने अभी विट्नेस पर्टेक्शन स्कीम की भी बात की थी, ये भी बहुत जरूरी है, कुछ केस में ये पाया गया की आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या करने के बाद उनके घर वालों पर भी हमला किया गया है, इसलिए विट्निस पर्टेक्शन के लिए क्या हो सकता है इसके लिए वकील थोड़ा सोचें और एक कार्यक्रम बनाए।”

“दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, आरटीआई को लेकर भी बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए समाज में जो पहले से ही वंचित समाज हैं उनको भी विशेष रूप से इसमें जोड़ना चाहिए, उनकी भी आवाज़ें इसमें आनी चाहिए।”

“ये जो धमकियों के अलावा एक केस लगाने का तरीका है, कभी मानहानि का केस लगा दिया, कभी वाइअलन्स का केस लगा दिया, इन सब चीजों के लिए हमें किस तरह का संघर्ष करना पड़ेगा और किसके पास जाना पड़ेगा इसके लिए भी सोचके हमें एक सूची बनानी चाहिए और तैयारी होनी चाहिए।”

2. वरिष्ट पत्रकार विनीता देशमुख जी के मुख्य विचार:

“मैं उन सभी परिवारों को भी धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ आए हैं क्योंकि जब घर में किसी सदस्य की हत्या होती है तो वो हमें हमेशा याद रहता है और जब ये सारे परिवार अपनी आपबीती यहाँ बोल रहे थे तो उनकी असहायता उनकी बातों से झलक रही थी क्योंकि पुलिस के पास जाने पर कुछ नहीं होता, कोर्ट जाने पर कुछ नहीं होता और किसी ऑफिस में शिकायत करने जाओ तो भी कुछ नहीं होता और इस जगह से दूसरी जगह गुहार लगाते हुए साल बीत जातें हैं और शायद पूरी ज़िंदगी।”

“जब भी हमारे किसी आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो तो हमें सोशल मीडिया पे जाकर चार पाँच दिन उसके बारे में लिखना चाहिए, तभी दबाव बनता है। सोशल मीडिया एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और हमें उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए।”

“हर राज्य में जो भी मुख्य सूचना अधिकारी है उनको काम से काम हर छै महिने में एक ऑर्डर निकालना चाहिए की सूचना के अधिकार के अधिनियम 4 का अनुपालन हर पब्लिक अथॉरिटी को करना ही चाहिए, हमने महाराष्ट्र में ऐसा करवाया था, ऐसे करने पर हमारे 90% आरटीआई आवेदन काम हो जाएंगे। अगर सबको ये सारी जानकारी अपने मोबाईल या कंप्युटर पर उपलब्ध हो जाएगी तो कोई क्यों आरटीआई आवेदन लगाएगा और क्यों उसकी हत्या होगी। Department of Personnel and Training (DoPT) भी ऐसा दो तीन साल में एक बार करती है पर हमें अपने प्लेटफॉर्म से DoPT और सभी मुख्य सूचना अधिकारियों पर अधिनियम 4 को लागू कराने के लिए तीन तीन महिने में आदेश पारित करने के लिए दबाव बनाना होगा।”

“हर एक राज्य में किसी विभाग के अंतर्गत, पुणे शहर के तर्ज पर एक सोशल सिक्युरिटी सेल बनाया जाए, जो वैसे तो आज के दिन सिर्फ औरतों के वैवाहिक कलह से ही जुड़ी सलाह देते हैं और उनमें हर केस को देखने के लिए एक वकीलों की टीम होती है और साइकोलौजिस्ट की भी एक टीम होती है और ये सभी मिलके हर एक केस को हैन्डल करते हैं पर ये मैं चाहती हूँ की ये सेल हर एक राज्य में हर उस परिवार को भी मदद और राय दे सके की वो अपनी परिवार के सदस्य की हत्या में कार्यवाही के लिए कैसे आगे बढ़े।”

“महाराष्ट्र में जो पीड़ित परिवार थे उनसे लोग बात नहीं करते और उनके पास आरटीआई कार्यकर्ता नहीं जाते हैं, समाज का साथ परिवार के साथ होना बहुत जरूरी है, वो हम इन परिवारों को किस तरह दिला सकते हैं इस पर हमें सोचना चाहिए।”

3. रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी:

“बिहार में पिछले 12 वर्षों में 22 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और इस मामले में बिहार नंबर वन पर है, ये कोई फक्र की बात नहीं है, ये हमारे शर्म की बात है, खेद की बात है कि बिहार में ऐसी अराजस्क स्तिथि है।”

“आप देख रहें है कि कई आरटीआई कार्यकर्ताओं जिनकी हत्या हो गई है उनके परिजन यहाँ आए हैं और इनमें से कई की लड़ाई मैंने भी लड़ी है।”

“बिहार में आरटीआई की क्या स्थिति है इसका मैं अपना एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत आवेदन खुद नहीं लगाता, लेकिन अभी इस साल जनवरी में एक मामले में जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई आवेदन लगाया तो मुझे 24 घंटे में जवाब मिल की ये सूचना इस विभाग से जुड़ी हुई नहीं है और इसे दूसरे विभाग से पूछा जाए और उस दूसरे विभाग ने एक महिने के बाद मुझे सूचना दी कि ये सूचना देह नहीं है तो ये स्तिथि है आरटीआई क्रियान्वयन की बिहार में। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, जनता की ताकत के आगे कुछ नहीं चलता है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिन्द!”

वरिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता व मजदूर किसान शक्ति संगठन के सहसंस्थापक निखिल डे जी ने जन सुनवाई की कार्यवाही पूरी होने के बाद, अपने विचारों को और हत्या किए गए आरटीआई कार्यकर्ताओं के परिजनों व ज्यूरी सदस्यों की तरफ से 9 प्रस्तावों को, जनसुनवाई में मौजूद सभी सदस्यों के सामने निम्नलिखित रूप से रखा:

“बिहार में अगर सबसे ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौतें हुई हैं तो सबसे पहले आवाज भी बिहार उठा रहा है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिहार ने रास्ता भी दिखा रहा है और वो रास्ते ये ही है कि हमें अपने भरोसे ही रहना है, हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आरटीआई लागू हुआ क्योंकि हमने ये समझ की कोई अधिकारी, कर्मचारी और नेता के भरोसे ये देश नहीं चलेगा और हम सबको जुड़ना पड़ेगा। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमलों को रोकने के लिए भी जनता खड़ी हो रही है और अगर किसी आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला होगा तो उसके विरोध में सब लोग, कम से कम सभी आरटीआई को काम में लाने वाले लोग, एक साथ उसके विरोध में आकर खड़े होंगे इस सोच और इस उम्मीद के साथ ये पूरी मुहीम चालू हुई है।”

इस प्रयास में मैं इन प्रस्तावों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और आप कृपया इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति दर्शाएँ:

1. पिछले एक दशक में 20 सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की बिहार राज्य में हत्या होना हमारे लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये हत्याओं का सिलसिला हमें बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम ये मानते हैं की ये जिन 20 लोगों की सूचना मांगने के लिए हत्या हुई उन सभी ने जिन मुद्दों को लेकर जानकारियाँ मांगी थी वो सभी जनता से जुड़े मुद्दों थे और व्यक्तिगत मुद्दे नहीं थे इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए जो उनके परिवारों का संघर्ष है वो उसमें अकेले का संघर्ष नहीं है और हम सब इस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। जिन 20 सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है उनको हम उनको शहीद मानव अधिकार कार्यकर्ता मानते हैं और उनको हम शहीद का दर्जा देते हैं। सरकार उनको शहीद माने या न माने, हम उनको शहीद मानव अधिकार कार्यकर्ता मानेंगे क्योंकि सार्वजनिक मुद्दों को लेकर इन्होंने संघर्ष किया और इनकी हत्या हुई।

2. हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत एक जूडिशल कमिशन ऑफ इन्क्वर्री को स्थापित करे जिससे इन सारे केसेस को एक साथ मिलके देखा जाए एक समय सीमा के अंदर उनकी जांच प्रक्रिया पूरी की जाए।

3. राज्य सरकार से से मांग करते हैं कि एक समय सीमा के अंदर इनकी सभी केसेस की जांच पूरी जांच प्रक्रिया पूरी की जाए।

4. शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए 2014 में केन्द्रीय सरकार ने एक कानून बनाया पर आज तक उसके नियम नहीं बनाए और उसको लागू नहीं किया। एक-एक हत्या जो 2014 के बाद हुई है, जो चाहे बिहार में हुई हो या देश भर में कहीं भी हुई हो, वो उनके माथे है क्योंकि जो कानून पार्लियामेंट ने पारित किया था वो तो लागू करना चाहिए था। उनके ऊपर हम जोर से यहाँ से कह रहे है और देश भर में भी जाकर आवाहन करेंगे कि उनका काम है कि वो इस कानून को तुरंत लागू करें और क्योंकि केन्द्र सरकार ने 8 साल से नहीं किया है और हम पीछे पड़े रहे और बोलते रहे लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं, लोकतंत्र में ही लोगों के नहीं सुन रहे हैं, जिनकी हत्याएं हो रही हैं उनकी नहीं सुने तो क्या उम्मीद करे उनसे तो चूंकि हम बिहार में है इसलिए हम बिहार की राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं की आप उसी तर्ज पर एक कानून यहाँ पारित करें। यहाँ विधानसभा के लोग आए भी हैं, वो ये बात विधानसभा में उठा भी सकते हैं।

5. जहाँ-जहाँ सूचना के अधिकार को मांगने वाले लोग के ऊपर कोई ना कोई दबाब पड़ा है, केवल हत्या की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये है की एक भी और जान नहीं जानी चाहिए क्योंकि हर जान की कीमत है। ये 20 हत्याएं हुई है वो बहुत ज्यादा है लेकिन अगला भी नहीं होना चाहिए इसलिए जिन भी लोगों के ऊपर कहीं दबाव पड़े या उनको धमकी मिले तो उनको तुरंत कोशिश करनी चाहिए की लोग सूचना आयोग को खबर दे की हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, धमकी आ रही है और वो धमकी का भी सबूत डाल दें, अपना सूचना का आवेदन डाल दें और उस सूचना को जल्दी मांगे और सूचना आयोग इस पर तुरंत संज्ञान लेकर वो जानकारी तुरंत उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जिससे इस धमकी का पूरा रास्ता ही बंद हो जाए।

6. ये सारी सूचनाएँ जिनको मांगने पर ये हत्याएँ हुई हैं वो राशन की सूचना, अस्पताल की सूचना, मनरेगा की सूचना, ये सूचना आप कैसे किपा रहे हैं, सूचना के अधिकार कानून की धारा चार के अंतर्गत ये सूचनाएँ अपने आप ही आनी चाहिए और इस सूचना को मांगने की भी जरूरत नहीं है और ऐसी सूचनाएँ मांगने के लिए धमकी मिलती है। इसलिए इस कानून का पालन होना चाहिए तो और इसके लिए बिहार सूचना आयोग को ऑडिट करना चाहिए की किस-किस विभाग ने अपनी सूचनाएं नहीं डाली है और उनके ऊपर उनको कार्यवाही करनी चाहिए। बिहार सूचना आयोग को आज हम एक चिट्ठी भेज देंगे तो उसके आधार पर उन्हें ये करना चाहिए।

7. राजस्थान में जो अरुण जी ने जिक्र किया और बहुत सारी इसकी बात भी हुई कि राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल (jansoochna.rajasthan.gov.in) है, वहाँ हजारों सूचनाएँ बिना मांगे रीयल टाइम में उपलब्ध हैं। उसमें लगभग दस करोड़ लोगों ने सूचनाएं ले ली हैं है तो उसी तर्ज पर कर्नाटक में भी ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमे लोगों को तमाम सूचनाएं अपने आप मिल जाएंगी। हम बिहार जय सरकार ए मांग करते हैं वो भी सी तर्ज पर बिहार का एक जन सूचना पोर्टल बनाएँ।

8. अगर किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को कोई जानकारी मांगने के बाद धमकी मिलती है या हमला किया जाता है तो केवल जिसने मार उसकी जांच नहीं हो, आपने जो सूचना मांगी केवल उसकी जांच नहीं हो, बल्कि उस पूरी दुकान की जांच या उस पूरी पंचायत की जांच या उस पूरे विभाग की जांच हो जिसकी निगरानी राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई (सोशल ऑडिट यूनिट, SAU) द्वारा की जानी चाहिए। एक बार ऐसा ऑर्डर राजस्थान में है और ऐसा हमने करवाया है ताकि वो मैसेज आया की आप किसी को चुप नहीं कर सकते, उल्टा आपकी डबल जांच हो जाएगी।

9. आप एक ऐसा नेटवर्क बनाएँ जहाँ हम लोग महिने में एक बार मिलेंगे जिन लोगों को हमारे बीच में इस मुद्दे से जुड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है या हमको बहुत धमकियाँ मिल रही है तो हम महीने में एक बार मिलेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहेंगे की आप हमें आपकी इस लड़ाई में शामिल हैं। वो मंच हम कोशिश करेंगे कि हम देश भर में बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद!

जन सुनवाई में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निखिल डे द्वारा पेश किए गए इन सभी नौ प्रस्तावों पर अपनी सहमति दर्ज कराई।

संलग्नक-1

बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राजे में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित जन सुनवाई के आमंत्रण, कार्यसूची (अजेन्डा) व मीडिया कवरेज से जुड़े दस्तावेज व अनलाइन लिंक्स:

आमंत्रण पत्र:

12 जुलाई 2022 की जनसुनवाई के लिए निर्धारित कार्यसूची (अजेन्डा):

क्रमांक	समय अंतराल	कार्यसूची (agenda)
1.	10:00-10:30	सूचना के अधिकार और ध्यानाकर्षकों (whistleblowers) के मामलों की स्थिति का परिचयात्मक व निरीक्षणात्मक सत्र
2.	10:30 - 11:30 AM	बिहार में आरटीआई की स्थिति पर खुला सत्र
3.	11:30 - 01:30 PM	ट्रिब्यूनल सत्र
4.	01:30 - 02:30 PM	विराम
5.	02:30 - 04:30 PM	ट्रिब्यूनल सत्र जारी रहेगा
6.	04:30 - 06:00 PM	ज्यूरी सदस्यों, आयोजकों और जनप्रतिनिधियों की टिप्पणियों के साथ समापन सत्र

मीडिया कवरेज:

दैनिक भास्कर

पटना

बिहार में 20 आरटीआई कार्यकर्ता की हत्याओं की जांच के लिए अभिजीत गर्ग कर रहे 10 वर्षों से संघर्ष

पिता के हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई, न्यायिक आयोग की मांग

सिटी रिपोर्टर | पटना

आहें, आंसू और पिता को खोने के दर्द के साथ मुजफ्फरपुर के अभिजीत गर्ग हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिता रामकुमार ठाकुर एक आरटीआई कार्यकर्ता थे। मनरेगा, गांवों में सोलर लाइट से जुड़े घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे। सच्चाई की लड़ाई में उनके पिता को मार दिया गया है। हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर बड़े अधिकारी के कार्यालय पर गुहार लगाई, सब जगह से एक ही जवाब मिला, देख रहे हैं। छह में से तीन हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पिता की बेरहमी से हत्या से परेशान अभिजीत यह कहते-कहते रो पड़े। वह मंगलवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में आयोजित आरटीआई कार्यकर्ता की बेरहमी से मौत : मृतकों के परिजनों की जनसुनवाई में अपनी बातें रख रहे थे। राज्य के पटना शहर में आरटीआई कार्यकर्ताओं की मौत के विषय पर अपनी तरह की पहली जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता प्रख्यात कार्यकर्ता अरुणा रॉय (एमकेएसएस), विनीता देशमुख (वरिष्ठ पत्रकार) और अमिताभ कुमार दास (पूर्व आईपीएस) की ज्यूरी ने की।

आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं तुरंत बंद होनी चाहिए

जनसुनवाई का आयोजन सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई), सफर, जन जागरण शक्ति संगठन, भोजन का अधिकार अभियान, बिहार और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में 20 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याएं बिहार में एक बहुत ही परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। यह तुरंत बंद होना चाहिए। जिन लोगों की हत्या की गई है, वे सार्वजनिक कारणों से लड़ रहे थे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नरेगा, आंगनबाड़ी केंद्रों, अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों आदि के कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे थे।

मदद करने का वादा किया : जन सुनवाई के दौरान कई वकीलों ने पीड़ित परिवारों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया। वहीं राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने जान सुनवाई में हिस्सा लिया और अपने स्तर से मदद करने की पेशकश की। पूर्व मंत्री श्याम रजक (राजद), शकील अहमद खान (कांग्रेस), गणेश सिंह-सीपीआई (एम), संदीप सौरभ सीपीआई (एमएल), अरुण सिंह-एसयूसीआई, मनोज झा (राजद) जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक दल वाले सत्र का हिस्सा थे। उन्होंने संघर्षरत परिवारों को मदद करने का वादा किया और साथ ही आरटीआई से जुड़े मुद्दे को बड़े पैमाने पे उठाने का संकल्प किया। जनसुनवाई में वकील भी मौजूद रहे और पीड़ित परिवार को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

13 जुलाई 2022 को दैनिक भास्कर का पटना संस्करण

आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिले मानवाधिकार रक्षक का दर्जा

जागरण संवाददाता, पटना : बिहार में आरटीआइ कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्या को लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व आइपीएस व आरटीआइ कार्यकताओं सहित मारे गए कार्यकर्ताओं के स्वजनों ने हिस्सा लिया। जनसुनवाई में मारे गए आरटीआइ कार्यकर्ताओं को मानवाधिकार रक्षक का दर्जा दिए जाने सहित आरटीआई कार्यकर्ता की हत्याओं की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की गई।

जन सुनवाई की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने की। उन्होंने कहा कि आरटीआइ कार्यकर्ताओं द्वारा विभाग में अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाते ही उन्हें धमकी मिलनी शुरू हो जाती है। हत्या होने पर पुलिस ठीक से जांच नहीं करती। उनसे अपराधी की तरह व्यवहार करती है। पूर्व आइपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा कि गत दस वर्षों में बिहार में 20 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। यह परेशान करने वाली बात है। जिनकी हत्या की गई है, वे सार्वजनिक हित के लिए लड़ रहे थे।

• कार्यकर्ता की हत्याओं की जांच के लिए हो न्यायिक आयोग

• बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में हुई सुनवाई

बीआइए भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय, पूर्व आइपीएस अमिताभ दास, आरटीआई कार्यकर्ता आशीष रंजन व अन्य • जागरण

सूचना के लिए सिंगल विंडो पोर्टल विकसित करने की मांग

जनसुनवाई का आयोजन सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआइ), सफर, जन जागरण शक्ति संगठन, भोजन का अधिकार अभियान, बिहार और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कार्यक्रम को विनीत देशमुख व आशीष रंजन ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जूरी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण कानून को मूर्त रूप देने सहित सूचना के लिए राज्यों से सिंगल विंडो पोर्टल विकसित करने की भी मांग की। इसमें कपिल अग्रवाल, अनिंदिता अधिकारी, रक्षिता स्वामी व महेंद्र यादव इत्यादि मौजूद रहे।

13 जुलाई 2022 को दैनिक जागरण का पटना संस्करण

अनलाइन लिंक्स:

https://m.timesofindia.com/.../amp_articleshow/92834733.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/.../arti.../92840900.cms
https://thewire.in/.../despite-20-rti-activists-killed-in...
https://thetimesbureau.com/bihar-has-had-20-rti.../
https://www.nationalheraldindia.com/.../jan-sunvai-in...
https://www.newsclick.in/Faced-Threats-Police-Inaction...
https://www.moneylife.in/.../in-bihar-too-20.../67743.html
https://samkaleenjanmat.in/in-public-hearing-demand-for.../
https://biharloksamvad.net/two-rti-activists-are-killed.../

NDTV पर रवीश कुमार के प्राइम टाइम पर भी जनसुनवाई की कार्यवाही को कवर किया गया:

(154) Prime Time With Ravish Kumar | बाय बाय Gotabaya जी, सवालों से भागे, अब देश से ही भाग गए - YouTube (22:19 से 29:05)

जनसुवाई के फेस्बूक लाइव प्रसारण के लिंक:

Facebook Live | Facebook
https://fb.watch/fkQglQI4vm/
https://fb.watch/fkQfvrJzB9/

संलग्नक-2

बिहार में सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या व बिहार राज्य में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के विषय पर 11 व 12 जुलाई 2022 को पटना में आयोजित कानूनी सहायता क्लीनिक व जन सुनवाई की तस्वीरें

जन सुनवाई

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय
(N.A.P.M)